[2022] 12 एस. सी. आर. 810

राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित

वी.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 6466)

31 जनवरी, 2022

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान-न्यायिक समीक्षा-विदेशी वित्त पोषित परियोजना-बुलेट ट्रेन परियोजना-निविदा प्रक्रिया में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप-जब उचित नहीं है-अपीलार्थी, एक सरकारी कंपनी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (परियोजना) के निर्माण की परियोजना के संबंध में कार्यों के लिए बोलियों के लिए एक निविदा नोटिस जारी किया गया-प्रत्यर्थी द्वारा चार अन्य बोलीदाताओं के साथ प्रस्तुत बोलियों को तकनीकी स्तर पर असफल घोषित कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांकित 27.04.2021 और 28.04.2021 संचार को रद्द कर दिया और

अधिसूचना दिनांक 28.04.2021 जिसके द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत की गई थी

प्रत्यर्थियों द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह गैर-उत्तरदायी है-चाहे ऐसी विदेशी वित्त पोषित परियोजना हो, उच्च न्यायालय को दुर्भावना और/या पक्षपात के किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए उचित ठहराया गया था-आयोजितः उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि बुलेट ट्रेन परियोजना भारत सरकार और जापान सरकार के बीच लंबे समय तक चले विचार-विमर्श का परिणाम है।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के बीच निष्पादित

(जे. आई. सी. ए.) और भारत के माननीय राष्ट्रपति-जे. आई. सी. ए. ने ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों सहित अन्य सहमत शर्तों पर परियोजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का वित्त पोषण करने पर सहमति व्यक्त की।

जे. आई. सी. ए./जे. आई. सी. सी. (जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स कंसोर्टियम) द्वारा अंतिम रूप दिया गया-बोली दस्तावेज जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ इसके खरीद दिशानिर्देशों पर आधारित हैं, जो ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग हैं-इसलिए, कोई भी बोली दस्तावेज जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ इसके खरीद दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

बोली के नियमों और शर्तों के विपरीत निर्णय

दस्तावेज़ ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में बदलाव करेगा, जिसकी अनुमति नहीं होगी-ऐसे अनुबंधों में जे. आई. सी. ए. की महत्वपूर्ण भूमिका है जैसे कि विदेशी वित्त पोषित निवेश

परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को कौन सी शर्तें चुनी जाएंगी जो निवेशक-विदेशी विकसित राष्ट्र के साथ निहित हैं-अंतिम निर्णय संबंधित पक्षों पर निहित है, जिन्होंने परियोजना में वित्तपोषण/निवेश किया, अर्थात, वर्तमान मामले में जे. आई. सी. ए.-यह मानने का निर्णय कि बोली उत्तरदायी नहीं थी, जे. आई. सी. सी. का था-अनुबंध के तहत

तंत्र, अपीलार्थी के पास जे. आई. सी. सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन से विचलित होने का कोई अधिकार नहीं था-अपीलार्थी ने जे. आई. सी. सी. के निर्णय के अनुसार जे. आई. सी. ए. द्वारा सहमति व्यक्त की-जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. को अंतिम प्राधिकरण कहा जा सकता है और जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय अपीलार्थी द्वारा नहीं लिया जा सकता था।

विशेष रूप से, बोली प्रक्रिया आदि के संबंध में-इसके अलावा, अपनाई गई बोली प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष थी और किसी भी मनमानेपन से ग्रस्त नहीं थी-जैसे कि अपीलार्थी के खिलाफ या जे. आई. सी. सी. और/या जे. आई. सी. ए. के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात का कोई आरोप नहीं था-उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने में गलती की।

जे. आई. सी. ए./जे. आई. सी. सी. द्वारा लिया गया सचेत निर्णय, जिसके बाद अपीलकर्ता-यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि हुई कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली पर्याप्त अनुपालन में थी और निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही थी और जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के तकनीकी स्तर पर मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने के निर्णय के साथ-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अनुबंधों को रद्द कर दिया जाता है।

अनुबंध-विदेशी वित्त पोषित अनुबंध-भारत का संविधान-न्यायिक समीक्षा-आयोजित करने का क्षेत्रः न्यायिक समीक्षा का दायरा

विदेशी वित्त पोषित अनुबंध भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सामान्य सरकारी वित्त पोषित अनुबंधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए ऐसे विदेशी वित्त पोषित में न्यायिक समीक्षा का दायरा

अनुबंध/परियोजनाएँ प्रतिबंधित और न्यूनतम होंगी-ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में, न्यायिक समीक्षा का एकमात्र आधार एक सीमित पहलू पर होना चाहिए, अर्थात, निष्पादन प्राधिकरण की कार्रवाई पक्षपात या भाई-भतीजावाद से पीड़ित नहीं है और उन आधारों के आधार पर जो विदेशी वित्तपोषण प्राधिकरण से छिपाए गए हैं, यदि खुलासा किया जाता है, तो वित्तपोषण प्राधिकरण को अनुबंध को रद्द करने के लिए राजी किया जाता।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निविदा दस्तावेजों के अनुसार, सभी बोलीदाताओं को इसका पालन करना आवश्यक था

में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यकताएँ

निविदा दस्तावेज। किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई विचलन नहीं किया जा सकता है। जे. आई. सी. ए. द्वारा जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का निपटारा किया गया था, जिनका मूल रिट याचिकाकर्ता सहित सभी बोलीदाताओं द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए, जब निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का निपटारा जे. आई. सी. ए. द्वारा किया गया था, तो यह अंततः जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. को निर्णय लेना है कि क्या किसी द्वारा प्रस्तुत बोली

विशेष बोलीदाता गैर-उत्तरदायी और/या बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। इसलिए, जब मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली पर जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा सचेत निर्णय लिया गया हो।

बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी/गैर-अनुपालन, जब तक कि दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात के विशिष्ट आरोप न हों, वे शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकते थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। [पैरा 7.3] [849-एफएच; 850-ए-बी] 1.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिसे काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली कहा जा सकता है, उसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

इसे काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली कहा जा सकता है। तथापि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब निविदा दस्तावेज के लेखक ने, वर्तमान मामले में, जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. ने एक सचेत निर्णय लिया था कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली - मूल रिट याचिकाकर्ता को गैर-उत्तरदायी और भौतिक विचलन से पीड़ित कहा जा सकता है, यह उच्च न्यायालय के लिए विचार करने/विचार करने के लिए नहीं था कि क्या मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली है या नहीं, जब तक कि निर्णय विकृत और/या दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात से ग्रस्त नहीं पाया जाता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविदात्मक दायित्व के तहत, यह इसके लिए खुला नहीं था

अपीलार्थी-निगम और/या यहाँ तक कि भारत गणराज्य का ऋण समझौते के किसी भी नियम और शर्तों से विचलित होना राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर.

दुर्भावनापूर्ण/मनमानेपन और/या पक्षपात का आरोप लगाते हुए, उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा लिए गए एक सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसका अपीलार्थी द्वारा पालन किया गया है। [पैरा 7.6 और 7.7] [851-बी-ई] 1.3 यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था जिसमें कहा गया था कि मूल द्वारा प्रस्तुत बोली

रिट याचिकाकर्ता सामग्री विचलन से पीड़ित है और इसे काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली नहीं कहा जा सकता है। द.

नियोक्ता-जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा निर्णय लिया गया और उसका पालन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा आई. टी. बी. के प्रासंगिक खंडों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से, आई. टी. बी. खंड 33.2, जो काफी हद तक परिभाषित करता है

मूल रिट याचिकाकर्ता की तुलना में और इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को दोष को ठीक करने का अवसर नहीं देना भेदभावपूर्ण है। अन्यथा भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक बार जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था, जिसे निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का लेखक कहा जा सकता है, यह विचार और रुख रखते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली भौतिक विचलन से ग्रस्त है और उक्त आई. टी. बी. के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था, इसके बाद उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद [2022] 12 एस. सी. आर. के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस तरह के सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं था।

226 भारत के संविधान के बारे में और यह विचार रखें कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली पर्याप्त अनुपालन में थी। [पारस 8,9] [863-एफ-एच; 864-ए-जी]

1.4 जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, दुर्भावना और/या पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली अवास्तविक अनुपालन थी। चाहे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली किसी भी भौतिक विचलन और/या किसी भी महत्वपूर्ण विचलन से ग्रस्त हो, इसे बोली दस्तावेज के लेखक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और आम तौर पर, उच्च न्यायालयों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं पाया जाता है और/या पक्षपात के आरोप नहीं हैं और/या ऐसा निर्णय मनमाना है। [पैरा 10] [864-जी-एच; 865-ए]

1.5 वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को अस्वीकार करने का निर्णय

पहला चरण इस आधार पर कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली सामग्री विचलन से ग्रस्त है और इसे पर्याप्त अनुपालन में नहीं कहा जा सकता है, जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. की सहमति से निविदा समिति द्वारा लिया गया है। जे. आई. सी. ए. की भूमिका पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में व्यापक रूप से विचार किया गया है। इसलिए, जब जे. आई. सी. ए. इतनी बड़ी राशि के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है और निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, और इसलिए, जब जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा सचेत निर्णय लिया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हल्के में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी और जब उच्च न्यायालय के इस तरह के निर्णय का ऐसी विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजना पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के विदेशी वित्त पोषित अनुबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सामान्य सरकारी वित्त पोषित अनुबंधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों/परियोजनाओं में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित और न्यूनतम होगा। ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में, न्यायिक समीक्षा का एकमात्र आधार एक सीमित पहलू पर होना चाहिए, यानी निष्पादन प्राधिकरण की कार्रवाई पक्षपात या भाई-भतीजावाद से पीड़ित नहीं है और उन आधारों पर आधारित है जो

विदेशी वित्तपोषण प्राधिकरण से छिपा दिया गया है, यदि खुलासा किया जाता है, तो राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर.

वित्तपोषण प्राधिकरण को अनुबंध रद्द करने के लिए राजी किया होगा। [पैरा 11] [865-बी-ई]

1.6 उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि बुलेट ट्रेन परियोजना दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चले विचार-विमर्श का परिणाम है।

एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर जापान सरकार। इसके बाद जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे. आई. सी. ए.) और भारत के माननीय राष्ट्रपति के बीच एक ऋण समझौते को लागू किया गया और जे. आई. सी. ए. ने ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर परियोजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का वित्त पोषण करने पर सहमति व्यक्त की और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों सहित अन्य सहमत शर्तों को जे. आई. सी. ए./जे. आई. सी. सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। बोली दस्तावेज जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ जे. आई. सी. ए. के खरीद दिशानिर्देशों पर आधारित हैं, जो ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। इसलिए, बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के विपरीत कोई भी निर्णय ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में बदलाव होगा, जिसकी अनुमति नहीं होगी। ऐसे अनुबंधों में जे. आई. सी. ए. की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जे. आई. सी. ए. द्वारा रियायती आधिकारिक विकास सहायता (ओ. डी. ए.) ऋण के रूप में वर्तमान निवेश जैसे विदेशी वित्त पोषित निवेश गैर-बातचीत वाले नियमों और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं, जहां निवेश की शर्तें क्या होंगी और परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को किन शर्तों पर चुना जाएगा, इस बारे में एकमात्र विवेकाधिकार निवेशक-विदेशी विकसित राष्ट्र के पास निहित होता है। अंतिम निर्णय संबंधित पक्षों पर निहित है, जिन्होंने परियोजना में वित्तपोषण/निवेश किया, यानी वर्तमान मामले में जे. आई. सी. ए.। इसलिए, उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. ए. और जे. आई. सी. सी. द्वारा लिए गए सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है, जिस पर निविदा समिति द्वारा कार्रवाई की गई है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए./अपीलार्थी/निविदा समिति के पहले चरण में मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को इस आधार पर अस्वीकार करने के सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली भौतिक विचलन से पीड़ित थी। [पारस 12,13] [865-एफ-एच; 866-ए-डी]

1.7 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में लिया गया दृष्टिकोण है कि खंड (ई) के तहत खंड 28

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. टी. बी. के विकल्प ए की धारा 1 और खंड 42.5 स्पष्ट रूप से अवैध हैं।

अदालत। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के समय आई. टी. बी. के खंड 28.1 और 42.5 मूल रिट याचिकाकर्ता की जानकारी में थे। आई. टी. बी. के उपरोक्त खंडों के बारे में जानकारी दी गई थी सभी प्रतिभागी/बोलीदाता और वही सभी पर लागू होता है। आई. टी. बी. में उपरोक्त खंडों के बावजूद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने भाग लिया

निविदा प्रक्रिया में। इसलिए, एक बार खंड 28.1 और 42.5 की पूरी जानकारी के साथ निविदा प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और पूरी जानकारी के साथ भाग लेने के बाद, इसके बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता के लिए ऐसे खंडों के संबंध में शिकायत करना खुला नहीं था। [पैरा 14] [866-ई-जी]

1.8 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि खंड 28.1 और 42.5 स्पष्ट रूप से हैं।

इसके बाद यह मूल रिट याचिकाकर्ता के लिए खुला नहीं था उसी को चुनौती दें। मूल रिट याचिकाकर्ता खंड 28 में निहित गोपनीयता खंड के संबंध में शुरू से ही जानता था और जिन आधारों पर असफल बोलीदाताओं की बोलियों का चयन नहीं किया जाता है, उन्हें खंड 42 के तहत अनुबंध देने के अंतिम निर्णय के बाद ही सूचित किया जाएगा। यदि मूल रिट याचिकाकर्ता व्यथित था

या तो उसने भाग नहीं लिया होगा और/या होना चाहिए था

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ऐसे खंडों को चुनौती दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में खंड 28.1 और 42.5 को इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः स्पष्ट रूप से अवैध रूप से कायम नहीं रह सकता है और यह भी होना चाहिए

रद्द कर दिया और अलग कर दिया। [पैरा 14.5] [869-डी-एफ]

1.9 सावधानी के कुछ शब्दों को व्यक्त करना उचित माना जाता है

उच्च न्यायालय राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर.

निविदा प्रक्रिया बीच में और/या अनुबंधों में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए, विशेष रूप से, विदेशों द्वारा वित्त पोषित अनुबंधों/परियोजनाओं के संबंध में और वर्तमान जैसी बड़ी परियोजना के संबंध में। इससे पहले

विदेशों द्वारा वित्त पोषित ऐसी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में रिट याचिका पर विचार करते हुए, इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि विदेश द्वारा ऐसी बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच विस्तृत चर्चा की जाती है और रेल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जाता है। विदेशी देश गैर-बातचीत की शर्तों पर इतनी बड़ी राशि का निवेश/वित्तपोषण करने के लिए तैयार है और बोली दस्तावेज विदेशी वित्तीय एजेंसी/देश द्वारा मानक बोली दस्तावेजों के नवीनतम संस्करण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये

विकसित देशों से निवेश गैर-बातचीत के नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाता है, जहां निवेश की शर्तें क्या होंगी और परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को किन शर्तों पर चुना जाएगा, इस बारे में एकमात्र विवेकाधिकार निवेशक विदेशी विकसित राष्ट्र के पास निहित होता है। ऐसे विदेशी संप्रभु वित्त पोषित विकास अनुबंधों की विशेष विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनकी परिकल्पना और अस्तित्व केवल निवेश की उपलब्धता और ऐसे बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विदेशी संप्रभु देश की इच्छा के कारण किया जा सकता है।

परियोजना, उक्त अनुबंध विभिन्न विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए, जहां तक विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों और सरकारी खजाने से वित्त पोषित सामान्य लोक निर्माण अनुबंधों के बीच न्यायिक हस्तक्षेप का संबंध है, अलग-अलग विचार होंगे। इसे हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए।

एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में, एक विकासशील देश के लिए इतनी अधिक लागत वाली परियोजना के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है जब तक कि विकसित देश ऋण/सब्सिडी नहीं देता है और/या ऐसी उच्च लागत वाली परियोजनाओं के लिए धन देने के लिए तैयार नहीं होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। विकासशील देश के लिए, विशेष रूप से, जब विकसित देश ब्याज की न्यूनतम रियायती दर और पुनर्भुगतान के उपयुक्त नियमों और शर्तों पर एक बड़ी राशि का वित्तपोषण करने के लिए तैयार हो।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बड़ी परियोजना के निष्पादन में कोई भी देरी, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, व्यापक लोक हित और राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती है। अदालतों द्वारा बीच में इस तरह का हस्तक्षेप और इस तरह की परियोजनाओं में देरी जो विदेशी [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा वित्त पोषित है।

निवेश/वित्तपोषण। कई बार, अदालतों के हस्तक्षेप के कारण परियोजना के निष्पादन में इतनी देरी हो सकती है परियोजना की लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और अंततः परियोजना की लागत में वृद्धि हो सकती है और भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है और इससे बढ़े हुए और बिना बजट के खर्च हो सकते हैं। तब भी

रिट याचिका पर विचार करने और/या उस रोक को देने से जो अंततः बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में देरी कर सकती है, यह याद रखना चाहिए कि यह सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डाल सकता है और राज्य और/या इसकी एजेंसियों/उपकरणों को नागरिकों के प्रति संवैधानिक और कानूनी दायित्व का निर्वहन करने से अक्षम कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालयों को ऐसी याचिकाओं पर विचार करते समय और/या ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बेहद सावधान और चौकस रहना चाहिए। ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि निर्णय इस तरह के विकृत और/या मनमाना है और/या दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात से ग्रस्त है, ऐसी रिट याचिका पर विचार करते हुए और/या कोई उचित अंतरिम आदेश पारित करते हुए, उच्च न्यायालय रिट में डाल सकता है।

याचिकाकर्ता का नोटिस कि यदि याचिकाकर्ता हार जाता है और उसके द्वारा शुरू की गई ऐसी कार्यवाही के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी होती है, तो उसे ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण हुए नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो उसके द्वारा शुरू किए गए ऐसे तुच्छ मुकदमों के कारण हो सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है और उसी के अनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर मूल रिट याचिका खारिज हो जाती है। [पारस 15,16] [869-जी-एच; 870-ए-एच; 871-जी-एच; 872-ए-डी]

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम। नागपुर मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड, ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4305: [2016] 3

एससीआर 551; सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. एसएलएल एस. एम. एल. [एक संयुक्त उद्यम संघ], (2016) 8 एस. सी. सी. 622

: [2016] 4 एस. सी. आर. 890; मां बिंदा एक्सप्रेस वाहक और

एन. आर. वी. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और अन्य। , (2014)

3 एससीसी 760: [2013] 12 एससीआर 529; टाटा सेल्युलर बनाम। भारत संघ, 1994 6 एससीसी 651: [1994] 2 पूरक। एससीआर 122-पर भरोसा किया।

राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v. मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर.

सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट

लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। , (2008) 16

एससीसी 215 [2008] 15 एससीआर 585; पोद्दार स्टील

निगम बनाम। गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स और अन्य,

(1991) 3 एससीसी 273; बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर

कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। , (2006) 11 एससीसी 548: [2006]

8 पूरक। एस. सी. आर. 11; मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 216: [2012] 8 एससीआर

128 ; जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य (2007) 14 एस. सी. सी. 517 [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 606; तेजास निर्माण

और इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड v. नगर परिषद,

सेंधवा (2012) 6 एस. सी. सी. 464: [2012] 4 एससीआर 90; सीआरआरसी

निगम लिमिटेड बनाम। मेट्रो लिंक एक्सप्रेस

गांधीनगर और अहमदाबाद (मेगा) कंपनी

लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 282: [2017] 5 एससीआर 87, एशिया

फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड v. ट्राफलगर हाउस

निर्माण (आई) लिमिटेड और अन्य। , (1997) 1 एससीसी 738;

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एंड एन. आर. वी. एस. एल. एल.-एस. एम. एल. [ए ज्वाइंट]

वेंचर कंसोर्टियम] और ओआरएस। , (2016) 8 एससीसी 622: [2016] 4 एस. सी. आर. 890-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 15 एससीआर 585

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.11

(1991) 3 एस. सी. सी. 273

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.12

[2016] 3 एससीआर 551

उस पर भरोसा करें

पैरा

3,14

[2006] 8 पूरक। एससीआर 11

संदर्भित किया गया है

पैरा

3,14

[2012] 8 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पैरा

3,14

[2006] 10 पूरक। एससीआर 606

पैरा

3,14

संदर्भित किया गया है

[2012] 4 एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पैरा

3,14

[2016] 4 एससीआर 890

उस पर भरोसा करें

पैरा

3,14

[2013] 12 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा

3,14

[2017] 5 एससीआर 87

पैरा

4.2

संदर्भित किया गया है

(1997) 1 एस. सी. सी. 738

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.4

[2016] 4 एससीआर 890

संदर्भित किया गया है

पैरा

7.8

[1994] 2 पूरक। एससीआर 122

उस पर भरोसा करें

[2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6466

तुषार मेहता, एस. जी., कुणाल चटर्जी, संजीत रंजन, रजत नायर, यश कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। अंशिन एच. देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोनिश पांडा, पार्थ जे. कॉन्ट्रैक्टर, आयुष शर्मा, सुश्री प्रियंवदा सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिखित में पारित दिनांक 23.08.2021 के विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2021 की याचिका (सी) संख्या 5127 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा यहां प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है-मूल रिट याचिकाकर्ता (जिसे इसके बाद "मूल रिट याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है) और 27.04.2021 और 28.04.2021 दिनांकित संचार और 28.04.2021 दिनांकित अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता

यह सूचित किया गया कि इसकी तकनीकी बोली को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह गैर-उत्तरदायी है और इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली की आगे की जांच करके निविदा प्रक्रिया के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है, मूल प्रतिवादी-नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एन. एच. एस. आर. सी. एल". के रूप में संदर्भित किया गया है) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 2. कि इसमें अपीलकर्ता-एन. एच. एस. आर. सी. एल. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित एक सरकारी कंपनी है, जिसे भारत में आगामी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्तपोषण, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से निगमित किया गया है।

2.1 कि एन. एच. एस. आर. सी. एल. ने बोली पैकेज संख्या के संबंध में बोली लगाने के लिए 22.10.2020 पर एक निविदा सूचना जारी की। एम. ए. एच. एस. आर.-8 के लिए-डिजाइन पर डिपो के लिए सिविल और भवन कार्यों का डिजाइन और निर्माण एकमुश्त मूल्य के आधार पर डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए निर्माण करें जिसमें साइट निर्माण, बांध, दीवारों को बनाए रखना, ट्रैक के लिए रोडबेड, बॉक्स पुलिया, सड़कें, केबल डक्ट, ओ. एच. ई. मास्ट की नींव, पाइप, जल निकासी, जल आपूर्ति, जल संचयन, अग्निशमन, भूमि स्क्रैपिंग, सीमा दीवार, सामान्य निरीक्षण ट्रेन शेड, रखरखाव राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

साबरमती में एम. ए. एच. एस. आर. किलोमीटर के बीच डिपो और अन्य संबद्ध कार्य। 507.599 और एमएएचएसआर किमी। 509.726 मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के निर्माण की परियोजना के लिए गुजरात राज्य में, (जिसे इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

2.2 कि मूल रिट याचिकाकर्ता सहित विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोलियां एनएचएसआरसीएल द्वारा 19.02.2021 पर खोली गई थीं।

मूल रिट याचिकाकर्ता को चार अन्य बोलीदाताओं के साथ असफल घोषित किया गया था। एनएचएसआरसीएल ने मूल रिट याचिकाकर्ता को इसके माध्यम से सूचित किया

सी. पी. पी. पी. पर 27.04.2021 पर तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन सारांश अपलोड करना कि मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को चार अन्य बोलीदाताओं के साथ तकनीकी स्तर पर खारिज कर दिया गया है। मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपनी बोली को अस्वीकार करने के कारण मांगे। जवाब में, एन. एच. एस. आर. सी. एल. ने मूल रिट याचिकाकर्ता को संबोधित अपने दिनांक 28.04.2021 के संचार के माध्यम से सूचित किया कि उसकी बोली काफी हद तक उत्तरदायी नहीं थी। खंड आई. टी. बी. 28.1 और 42.5 का संदर्भ दिया गया था। खंड 28.1 के तहत "बोलियों के मूल्यांकन और अनुबंध पुरस्कार की सिफारिश से संबंधित जानकारी बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, न कि आधिकारिक रूप से।

संबंधित, ऐसी प्रक्रिया के साथ जब तक कि अनुबंध पुरस्कार की जानकारी आईटीबी 42 के अनुसार सभी बोलीदाताओं को नहीं दी जाती है। धारा के अनुसार 42.5 , " पुरस्कार की अधिसूचना के बाद ही असफल बोलीदाता नियोक्ता से लिखित रूप में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

जिन आधारों पर उनकी बोलियों का चयन नहीं किया गया था और नियोक्ता किसी भी असफल बोलीदाता को तुरंत लिखित रूप में जवाब देगा, जो आई. टी. बी. 42.1 के अनुसार पुरस्कार की अधिसूचना के बाद,

डीब्रीफिंग "। ऐसा प्रतीत होता है कि एन. एच. एस. आर. सी. एल. ने उपरोक्त दो के अनुसार कार्य किया

खंड।

2.3 क्रमशः 27.04.2021 और 28.04.2021 दिनांकित उपरोक्त संचार/अधिसूचना से व्यथित और

2.4 रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने आई. टी. बी. के खंड 28.1 और 42.5 पर टिप्पणी की है और कहा है कि उस स्तर पर कारण बोली लगाने वालों को अदालत से संपर्क करने और उनकी बोली की अस्वीकृति के कारणों को जानने से वंचित करने के समान होंगे।

कि इसके बाद उच्च न्यायालय ने उन कारणों पर विचार किया है जिनके लिए मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी पाई गई थी और बोली को तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी मानते हुए आपत्तियों को खारिज कर दिया है और कहा है कि बोली मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया काफी हद तक उत्तरदायी था और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों का पर्याप्त अनुपालन था। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने तकनीकी स्तर पर मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को तकनीकी रूप से गैर-उत्तरदायी बताते हुए खारिज करने वाले उपरोक्त संचार को रद्द कर दिया है और एनएचएसआरसीएल को चार अन्य बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोलियों के साथ मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली पर विचार करने और मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एन. एच. एस. आर. सी. एल. ने

वर्तमान अपील।

3. अपीलार्थी-एन. एच. एस. आर. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला पैकेज सी8 में कार्यों के लिए जारी निविदा से संबंधित है, जो मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिए जा रहे विभिन्न अन्य पैकेजों का एक हिस्सा है, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुंबई-अहमदाबाद परियोजना पूरी तरह से विदेशी वित्त पोषित परियोजना है, जिसकी परिकल्पना तब की गई थी जब जापानी और भारतीय सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार यह सहमति हुई थी कि उक्त परियोजना को पूरी तरह से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे. आई. सी. ए.) द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के रियायती आधिकारिक विकास सहायता ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, बुलेट ट्रेन परियोजना एक विदेशी संप्रभु वित्त पोषित अनुबंध है जो वित्त पोषित अनुबंधों से अलग है।

भारत की समेकित निधि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निगम के ज्ञापन के अनुसार, और जब उक्त परियोजना को जे. आई. सी. ए. द्वारा बहुत ही नगण्य ब्याज दर के साथ 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है और 27 वर्ष और उससे अधिक की किश्तों में पुनर्भुगतान प्रदान करके, निगम के ज्ञापन के अनुसार, बोली लगाने की प्रक्रिया और बाद के निर्णयों की जे. आई. सी. ए. द्वारा जांच की जानी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोली दस्तावेजों की सामग्री जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों पर आधारित थी (एस. बी. डी.) के साथ-साथ जे. आई. सी. ए. के खरीद दिशानिर्देश और वही ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, जे. आई. सी. ए. ने जे. आई. सी. सी. को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।

3.1 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में जब मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपना राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v प्रस्तुत किया।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

बोली/तकनीकी बोली और जब तकनीकी मूल्यांकन चरण में इसका मूल्यांकन किया गया था, तो मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली (i) फॉर्म कॉन पर हस्ताक्षर न करने के आधार पर गैर-उत्तरदायी पाई गई थीः 2.0 लंबित मुकदमेबाजी और (ii) अधिकृत द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत बोली में 3 मुकदमेबाजी इतिहास पर हस्ताक्षर न करना। मूल रिट याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोली दस्तावेज जे. आई. सी. सी. द्वारा तैयार किया गया था और जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में जब संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार जे. आई. सी. सी. द्वारा किया गया था, तो उसी को जे. आई. सी. ए. की निविदा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अपीलार्थी, जिसे अंततः जे. आई. सी. ए. द्वारा सहमति और अनुमोदन दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोली को गैर-उत्तरदायी ठहराने का निर्णय था

जे. आई. सी. सी., जिसे जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

संविदात्मक तंत्र के तहत अपीलार्थी अपने विवेक से जे. आई. सी. सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन से विचलित नहीं हो सकता है और अपीलार्थी/भारत सरकार द्वारा एकतरफा रूप से किया गया कोई भी विचलन जे. आई. सी. ए. द्वारा स्वीकार्य/सहमत नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह "विशेषाधिकार भागीदारी सिद्धांत" का भी उल्लंघन होगा क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने से अन्य बोलीदाता जिनके बोलियों को अपीलार्थी द्वारा उसी आधार पर खारिज कर दिया गया है, वे निविदा में भाग ले सकेंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च

न्यायालय द्वारा अन्य बोलीदाताओं का मूल्यांकन भी उनकी बोलियों को उत्तरदायी बना देगा और इसलिए ऐसी कोई भी कार्रवाई पूरी बोली को गैर-प्रतिस्पर्धी बना देगी और अन्य पैकेजों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

3.2 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें निगम या समझौता ज्ञापन के प्रासंगिक खंडों पर ले गए हैं जैसा कि जे. आई. सी. ए. और भारत के राष्ट्रपति के बीच दर्ज किया गया; जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दिशानिर्देश और जापानी के तहत खरीद के लिए दिशानिर्देश

ओडीए ऋण। उन्होंने हमें बोली दस्तावेजों के विभिन्न खंडों पर भी ले जाया है और अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए कि अपीलार्थी ने समझौता ज्ञापन, ऋण के अनुसार ही काम किया है।

जे. आई. सी. ए. और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता और बोली दस्तावेज के प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन जे. आई. सी. सी. (जे. आई. सी. ए. द्वारा नियुक्त सलाहकार) द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

तकनीकी बोली मूल्यांकन पर तकनीकी सलाहकार (टी. सी.) द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चरण 1 प्रशासनिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन था और चरण 3 तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. सी. सी. ने सिफारिश की थी कि पाँच बोलीदाताओं की बोलियों में सामग्री गैर [2022] 12 एस. सी. आर. हो।

अनुरूपताएँ और बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं थे और इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली भी गैर-उत्तरदायी/सामग्री गैर-अनुरूपता पाई गई थी। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुबंधों/लोक निर्माण विभाग अनुबंधों/सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंधों से अलग और अलग, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक धन से वित्त पोषित होते हैं, यानी भारत या राज्य की समेकित निधि और राज्य के वैधानिक/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में, यह निवेशक होता है, जो आम तौर पर मित्रवत संप्रभु देश (एक विकसित राष्ट्र, वर्तमान मामले में जापान की तरह) होता है, जो एक मित्रवत राज्य (एक विकासशील राष्ट्र, वर्तमान मामले में भारत की तरह) में निवेश करने का निर्णय लेता है और स्थानीय विकासशील राष्ट्र के विकास के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण और कार्यान्वयन करता है। 3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विकसित देशों से ये निवेश गैर-बातचीत के नियमों और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं, जहां निवेश की शर्तें क्या होंगी और राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित को लागू करने के लिए ठेकेदारों को किन शर्तों पर चुना जाएगा।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

परियोजना, निवेशक विदेशी विकसित राष्ट्र के साथ निहित है। इस प्रकार, निर्णय लेने के सभी महत्वपूर्ण पहलू और जिन नियमों और शर्तों पर इस तरह का निवेश किया जाना है और उक्त परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को कैसे चुना जाना है, यह संप्रभु की साधन/एजेंसी के पास रहता है जिसने विकासशील राष्ट्र में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक भारतीय प्राधिकरणों/स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका का संबंध है, वे सैद्धांतिक रूप से एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और तकनीकी रूप से केवल 'प्रथम स्तर की जांच' करने की भूमिका दी जाती है कि किए गए निवेश को खर्च किया जाएगा/ठेकेदारों को निवेशक राज्य द्वारा प्रस्तावित नियमों और शर्तों के अनुसार चुना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामले में, राज्य का स्थानीय प्राधिकरण/साधन एक सहायक के रूप में कार्य करता है और सभी उद्देश्यों के लिए ठेकेदारों आदि के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उस विदेशी राज्य की इकाई के पास रहता है जिसके माध्यम से निवेश किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में बोलियों की जांच एन. एच. एस. आर. सी. एल. द्वारा नहीं की गई थी। यह जे. आई. सी. सी. द्वारा किया गया था जो जे. आई. सी. ए. द्वारा अपने नियमों और शर्तों के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत एक स्वतंत्र निकाय है और उसके बाद जे. आई. सी. सी. द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, ठेकेदार का चयन करने का अंतिम निर्णय जे. आई. सी. ए. का होता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय प्राधिकरण-अपीलार्थी-एन. एच. एस. आर. सी. एल. के साथ किसी भी अवधि को बदलने का विवेकाधिकार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और यहां तक कि सलाह भी दी जाती है।

3.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने सी. आर. आर. सी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में अपने फैसले और आदेश में। बनाम मेट्रो

इस अदालत ने गांधीनगर और अहमदाबाद (एम. ई. जी. ए.) कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के लिए लिंक एक्सप्रेस की पुष्टि की है। मेसर्स सी. आर. आर. सी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड Vs.Metro लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड को 2017 की स्पेशल लीव पिटिशन (सिविल) डायरी No.35385 में पारित किया गया।

3.9 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आगे जोर देकर कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय [2022] 12 एस. सी. आर.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे को बदल दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी संप्रभु वित्त पोषित अनुबंध/परियोजना के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों और सार्वजनिक राजकोष से वित्त पोषित सामान्य लोक निर्माण अनुबंधों के बीच के अंतर की बिल्कुल भी सराहना और/या विचार नहीं किया है।

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे विदेशी संप्रभु वित्त पोषित विकास अनुबंधों की विशेष विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, जो हो सकता है परिकल्पना की गई और केवल निवेश की उपलब्धता और इस तरह के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विदेशी संप्रभु देश की इच्छा के कारण मौजूद है।

परियोजना, उक्त अनुबंध उन विशेषताओं को मानता है, जो एक पूर्ण लोक निर्माण अनुबंध/सरकारी अनुबंध होने के बजाय निजी प्रकृति के हैं, जहां भारत सरकार परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन का एकमात्र प्राधिकरण है और जिसमें सार्वजनिक कानून और न्यायिक समीक्षा मापदंडों का तत्व लागू होता है।

उसकी पूरी ताकत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रियायत पर एक मित्र संप्रभु देश द्वारा निवेश की प्रकृति में होने के कारण, निर्णय के साथ रहता है

निवेशक जिसके माध्यम से उक्त निवेश को सार्वजनिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाता है और ठेकेदारों को किन नियमों और शर्तों पर चुना जाना है जो अपनी परियोजना को सार्वजनिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में परिवर्तित करेंगे।

3.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि निवेशक द्वारा प्रस्तावित एन. आई. टी. की शर्तें एक पवित्र प्रभाव मानती हैं क्योंकि उनसे कोई भी विचलन हो सकता है।

अवसंरचनात्मक परियोजना के वित्तपोषण पर हानिकारक प्रभाव डालना। इस तरह के अनुबंधों का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का होता है, जो भारत में स्थित स्थानीय सरकार की निर्णय लेने की शक्ति से कहीं अधिक है और इसलिए, इस तरह के अनुबंध के संबंध में निर्णय लेना अंतरराष्ट्रीय राजकोषीय नीति के व्यापक विचार पर निर्भर करता है।

एक विकसित देश एक के लिए एक अवसंरचनात्मक परियोजना के वित्तपोषण का निर्णय लेता है

विकासशील देश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, इन विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत अधिक है भारत की संचित निधि से वित्त पोषित साधारण सरकारी वित्त पोषित अनुबंधों से कम, जिनकी न्यायिक समीक्षा का दायरा राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित है।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अन्यथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित और सीमित माना जाता है। रिलायंस को सीमेंस पब्लिक के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। , (2008) 16 एस. सी. सी. 215 @पैरा 20-24।

3.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में निविदा की आवश्यक शर्तों से किसी भी विचलन की कोई गुंजाइश नहीं है निवेशक द्वारा प्रस्तावित। इस प्रकार, अमिट स्याही में बोली के लिए प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना एन. आई. टी. की एक अनिवार्य शर्त थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. आई. टी. की आवश्यक शर्तों से विचलन वर्तमान प्रकृति के अनुबंध में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत, जो घरेलू निविदा मामलों के मामले में लागू हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और विदेशी वित्त पोषण वाले वर्तमान प्रकृति के अनुबंध के संबंध में बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। रिलायंस को पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर्स, (1991) 3 एस. सी. सी. 273। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकरण भारत में किसी सरकारी निकाय के अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण में होता है, तो राज्य एक ऐसी स्थिति अपना सकता है जिसमें वह निविदा प्रतिभागी को भाग लेने की अनुमति देता है।

पर्याप्त अनुपालन। हालांकि, यह स्थिति विदेशी वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए जारी अनुबंधों के साथ नहीं हो सकती है।

क्योंकि यह उन शर्तों को बदलने के बराबर होगा जिन पर निवेश करने के लिए सहमति दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने विदेशी वित्तपोषण पक्ष द्वारा परिकल्पित शर्तों का पालन किया है और/या उनका पालन किया है और अपीलार्थी द्वारा एन. आई. टी. के नियमों और शर्तों से कोई विचलन नहीं हो सकता है; जिसे केवल एक सहायक पक्ष और/या कार्यान्वयन एजेंसी कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अमिट स्याही में प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यक शर्तों में से एक का पालन नहीं किया गया है, इसलिए निवेशक-जे. आई. सी. ए. और सलाहकार-जे. आई. सी. सी. द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा लागू किया गया है।

और निष्पक्ष खेल। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि सारवान सिद्धांत वाणिज्यिक अनुबंधों में अनुपालन लागू नहीं होगा। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि यह अनुबंध की आवश्यक शर्तों के उल्लंघन के समान होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई शर्त जो किसी अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए किसी विदेशी वित्तपोषण पक्ष द्वारा विशेष रूप से लगाई जाती है, तो ऐसी शर्त प्रकृति में गैर-परक्राम्य होती है और [2022] 12 एस. सी. आर. का एक अभिन्न अंग बनती है।

अनुबंध, इस तरह की शर्त का पालन समग्रता में होना चाहिए क्योंकि विदेशी वित्तपोषण पक्ष द्वारा लगाई गई शर्त का स्पष्ट उल्लंघन होने के बावजूद भारत में निष्पादन प्राधिकरण के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी देना अनुमत नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सारवान सिद्धांत

अनुपालन, इस प्रकार, विदेशी वित्तपोषण पक्ष के साथ बातचीत नहीं की जा सकती है; हालाँकि सार्वजनिक कार्यों में जो भारत की समेकित निधि/सार्वजनिक धन से वित्त पोषित होते हैं, वे संभव हो सकते हैं और/या अनुमत हो सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों की उचित रूप से सराहना नहीं की है, जबकि ऐसी विदेशी वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत को अनुमति दी है, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विदेशी राज्य की इच्छा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी।

इस परिमाण की परियोजना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविदात्मक मामलों और केवल भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित परियोजनाओं की न्यायिक समीक्षा के लिए निर्धारित मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा, जहां निर्णय लेने वाला प्राधिकरण केवल एक भारतीय सरकारी प्राधिकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान जैसे मामलों में, विदेशी संप्रभु द्वारा दी गई शर्तें, जिसके आधार पर वह एक अवसंरचनात्मक परियोजना के वित्तपोषण के लिए आगे बढ़ती है, पवित्र हो जाती हैं और इससे विचलित नहीं की जा सकती हैं और ऐसे मामलों में, अनुपालन सख्त होना चाहिए और पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पर्याप्त अनुपालन पर कोई भी आग्रह ऐसी परियोजना के वित्तपोषण के लिए विदेशी संप्रभु की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और इसके बारे में तकनीकी जानकारी साझा कर सकता है। 3.14 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की तय की गई पूर्व स्थिति के अनुसार,

और ऐसे मामलों में जहां जनहित प्रभावित होता है, न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उचित ठहराया जाएगा। रिलायंस को रखा गया है निम्नलिखित निर्णयः

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड, ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4305; बी. एस. एन जोशी एंड संस

लि. बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य।

, (2006) 11 एस. सी. सी. 548; राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v. मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2012) 8 एस. सी. सी. 216; जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 517; तेजास कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड। बनाम।

नगर परिषद, सेंधवा, (2012) 6 एस. सी. सी. 464; केंद्रीय

कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम एस. एल. एल.-एस. एम. एल. [एक संयुक्त उद्यम] कंसोर्टियम], (2016) 8 एस. सी. सी. 622; और मां बिंदा एक्सप्रेस कैरियर और ए. एन. आर. बनाम उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे और अन्य। , (2014) 3 एससीसी 760।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, तकनीकी स्तर पर मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को अस्वीकार करने के लिए वर्तमान मामले में लिया गया निर्णय इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि यह गैर-उत्तरदायी है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि आई. टी. बी./बोली दस्तावेज़ के प्रासंगिक खंडों पर विचार करते हुए, यह अंततः निवेशक और/या उपयुक्त प्राधिकारी पर है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या बोली बोली दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का पालन करती है और/या क्या पर्याप्त अनुपालन है और/या क्या कोई भौतिक विचलन है या नहीं। एक बार जब उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जाता है और उपयुक्त प्राधिकारी/निवेशक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली में एक भौतिक विचलन है, जब तक कि दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं हैं और वे स्थापित और साबित नहीं होते हैं, तो इस तरह के सचेत निर्णय के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अंततः नियोक्ता को एक सचेत कॉल या निर्णय लेना है कि बोली तकनीकी रूप से उत्तरदायी है या कोई भौतिक विचलन है या नहीं।

28.1 और 42.5 यह निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता को प्रभावित करता है और यह बोलीदाताओं के अपने बोलियों को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने के अधिकारों को प्रभावित करता है, उच्च न्यायालय ने उक्त खंडों के उद्देश्य और उद्देश्य की बिल्कुल भी सराहना और/या विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त खंडों का उद्देश्य और उद्देश्य बोलीदाताओं के बोली को अस्वीकार करने के निर्णय को चुनौती देने के अधिकारों को छीनना नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल चुनौती को अलग करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त खंडों का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि चरण में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहाँ निविदा प्रक्रिया चल रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि हर स्तर पर बोलीदाता अदालत का दरवाजा खटखटाता है और/या शिकायत करता है, तो वह [2022] 12 एस. सी. आर. कर सकता है।

निविदा प्रक्रिया के पूरा होने में और देरी हो सकती है और जो अंततः मेगा परियोजना/सार्वजनिक परियोजना के निष्पादन में देरी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी निविदा प्रक्रिया पूरी होने और कार्य आदेश जारी होने के बाद, किए गए अनुरोध पर, बोली को अस्वीकार करने के कारणों की आपूर्ति की जा सकती है और उसके बाद बोलीदाता के लिए उस स्तर पर कानून का सहारा लेने के लिए खुला होगा और अनुबंध दिए जाने के बाद भी; बोलीदाता को बिना उपचार के प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त दो खंडों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।

3.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष कि आई. टी. बी. खंड 28.1 और 42.5 स्पष्ट रूप से अवैध हैं, निविदा शर्तों में बदलाव कर सकते हैं क्योंकि ये जे. आई. सी. ए. एस. बी. डी. के अनुसार हैं और केवल जे. आई. सी. ए. की सहमति से बदला जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. सी. ए. आई. टी. बी. में बदलाव की मांग करना निविदा प्राधिकरणों और जे. आई. सी. ए. के बीच फिर से बातचीत के समान होगा। इससे न केवल बी. आई. डी.-पैकेज No.C8 में देरी होगी, बल्कि अन्य 17 बोली पैकेज भी जो इस परियोजना के लिए अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग Rs.50,000 करोड़ है।

3.18 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गोपनीयता खंड एक हिस्सा हैं

जे. आई. सी. ए. के दिशा-निर्देश और अपीलार्थी के साथ-साथ भाग लेने वाले बोलीदाता भी इसी के लिए बाध्य हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, गोपनीयता खंडों को सभी चल रही और भविष्य की निविदाओं से हटाना होगा। जे. आई. सी. ए. एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसी होने के नाते निविदा नियमों में बदलाव के लिए सहमत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है और इसमें बातचीत के लिए पर्याप्त समय लग सकता है, जिससे अंततः जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं में गतिरोध पैदा हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जे. आई. सी. ए. एस. बी. डी. भारत में जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं पर लागू होगा और इसलिए, इस परिवर्तन को बुलेट ट्रेन परियोजना सहित सभी परियोजनाओं में लागू करना होगा, लेकिन यह बुलेट ट्रेन परियोजना तक सीमित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2016-2021 के बीच, जे. आई. सी. ए. ने 49 ऋण समझौतों को मंजूरी दी है।

भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए जेपीवाई 1975 बिलियन (132,300 करोड़ रुपये) की राशि। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विवादित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने का दूरगामी व्यापक प्रभाव होगा, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

3.19 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बुलेट ट्रेन परियोजना एक उच्च है

प्रतिष्ठित परियोजना और यह अनिवार्य है और लोक कल्याण राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड के हित में है।

कि अनुबंध जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रत्येक असफल बोलीदाता को संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है

अपनी व्यक्तिगत शिकायतों के खिलाफ उपचार की मांग करने वाली उनकी सनक और इच्छाओं के अनुसार, परियोजना के पीछे के पूरे इरादे और दृष्टिकोण का गला घोंटा जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खंड संख्या 28.1 और 42.5 अधिनियमित किए गए हैं जो जे. आई. सी. ए. आई. टी. बी. के अनुसार हैं।

3.20 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में निविदा की शर्तें सभी बोलीदाताओं पर समान रूप से लागू की गई हैं और

कोई भेदभाव नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी निविदा प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार दुर्भावना या पक्षपात के कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं और इसलिए, निविदा प्रक्रिया को दूषित नहीं किया जाता है।

3.21 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. बी. 29.1 बोली की जांच, मूल्यांकन और तुलना को सक्षम करने के लिए, अपीलार्थी को कोई भी अनुरोध करने की अनुमति देता है।

अपनी बोली के स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप बोली के सार में कोई बदलाव न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन कि मूल रिट याचिकाकर्ता को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांगने का विवेकाधिकार भेदभावपूर्ण और मनमाना है, गलत और गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अपीलार्थी ने सभी बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलत अवलोकन किया है और कहा है कि अपीलार्थी द्वारा केवल अन्य बोलीदाताओं से मांगा गया स्पष्टीकरण भेदभावपूर्ण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोलीदाता को अयोग्य ठहराने में अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और अन्य बोलीदाताओं से मांगे गए स्पष्टीकरण की प्रकृति जे. आई. सी. ए. द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन

बोलियां विभिन्न चरणों में की जाती हैं। वर्तमान मामले में, मूल रिट याचिकाकर्ता को चरण 1 पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था और केवल चरण 1 को पास करने वाले बोलीदाताओं को अगले चरण में आगे बढ़ना था और चरण 1 पर उनकी अयोग्यता को देखते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ता से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था।

3.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्पष्टीकरण के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि अन्य लोगों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है

बोली लगाने वाले भेदभावपूर्ण थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन अन्य बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया था, उन्होंने चरण 1 को मंजूरी दे दी थी और उसके अनुसार उनसे स्पष्टीकरण मांगे गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन कि अपीलार्थी ने दोष को ठीक करने की स्वतंत्रता दी होगी, कायम नहीं रखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड ए. 4 (बी) के साथ पठित चरण 1 (बी) (iii) में, अपीलार्थी मोंटेकार्लो-मूल [2022] 12 एस. सी. आर. को अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं था।

प्रपत्रों पर हस्ताक्षर न करने के दोषों को दूर करने के लिए रिट याचिकाकर्ता और जे. आई. सी. ए. ने उक्त चूक को सामग्री के रूप में रखने और बोली को गैर-अनुपालन/गैर-उत्तरदायी के रूप में रखने के लिए उचित ठहराया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड ए. 4 (बी) के अनुसार, सभी प्रपत्रों की समीक्षा ठीक उसी तरह की जानी चाहिए जैसे प्रस्तुत किए गए थे और त्रुटियों या चूक को बोली लगाने वाले के खिलाफ गिना जा सकता है।

3.23 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय चार बोलीदाताओं-बोलीदाता संख्या की तकनीकी बोलियों की सराहना करने में विफल रहा है। 1 , 3 , 7 और 9 "पर्याप्त रूप से उत्तरदायी" थे क्योंकि उन्होंने चरण 1 के मूल्यांकन में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गैर-अनुरूपताओं के सुधार के लिए आई. टी. बी. खंड 29.1 के संदर्भ में जे. आई. सी. सी. की सिफारिशों पर अपीलार्थी द्वारा बोली दस्तावेजों के अनुपालन की पुनः पुष्टि करने के लिए स्पष्टीकरण मांगे गए थे। उक्त निर्णय की पुष्टि अपीलार्थी की निविदा समिति ने अपनी दिनांकित 09.04.2021 की बैठक में की थी। इसलिए, केवल उन बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिनके बोलियां 'पर्याप्त रूप से उत्तरदायी' पाई गईं और चरण 1 में निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुरूप थीं। 2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि ऐसा अवसर था

भेदभावपूर्ण।

इस न्यायालय द्वारा परिस्थितियों में हस्तक्षेप किया जाता है, उसी का एक व्यापक प्रभाव होगा। यह न केवल विदेशी देश/विदेशी एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्त पोषण को प्रभावित करेगा, बल्कि बुलेट ट्रेन परियोजना जैसी एम. ई. जी. ए. परियोजना में और देरी करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश के अनुसार, पैकेज सी8 में देरी हुई है जिसका अन्य पैकेजों के कार्यान्वयन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार अंततः पूरी परियोजना में देरी होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी8 पैकेज का काम रोकना जो डिपो के निर्माण से संबंधित है साबरमती का एक अन्य संबंधित पैकेज, पैकेज डी2 पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो साबरमती डिपो के डिजाइन, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और चालू करने से संबंधित है, जिसमें कार्यशाला, निरीक्षण शेड, रखरखाव सुविधाएं और संबंधित कार्य शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बुलेट ट्रेन परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और अपीलार्थी/सरकार/केंद्र सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लागत 1 करोड़ रुपये है और ब्याज की रियायती दर के साथ पर्याप्त राशि जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित की जानी है और इसलिए, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

परियोजना के बीच संबंधों के कारण एक विदेशी वित्त पोषित परियोजना है विकसित देश और विकासशील देश। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए तुच्छ मुकदमेबाजी के कारण ऐसी परियोजना में कोई देरी और आधारहीन है।

निविदा खंडों को चुनौती देने से परियोजना व्यावसायिक और लेन-देन के लिए अव्यवहारिक हो सकती है क्योंकि यह परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए निवेशक/वित्तपोषण करने वाले राज्य की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। 3.25 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और रद्द कर दिया जाए और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश।

4. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंशिन एच. देसाई ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। यह है।

प्रत्यर्थी/मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देसाई द्वारा जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है जिसमें अपीलार्थी को मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली की जांच करने वाली निविदा प्रक्रिया के कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।

4.1 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित परियोजना और यह एक विदेशी वित्त पोषित परियोजना है, इस संबंध में लिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं होने चाहिए। जहाँ तक उक्त प्रस्तुति का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि परियोजना जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित है और मूल्यांकन सहायता जे. आई. सी. सी. द्वारा प्रदान की जाती है, जो

रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजना जे. आई. सी. ए. की समीक्षा के अधीन है, फिर भी इस परियोजना में इस देश के सार्वजनिक खजाने की एक बड़ी राशि का परिव्यय शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल परियोजना लागत का 81 प्रतिशत जे. आई. सी. ए. ऋण द्वारा वित्त पोषित है, जिसे सार्वजनिक खजाने से चुकाने की आवश्यकता है। ब्याज के साथ पूंजी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन परियोजना के लिए जे. आई. सी. ए. द्वारा भुगतान की गई राशि सहायता नहीं है, बल्कि यह एक ऋण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल परियोजना लागत के शेष 19 प्रतिशत की व्यवस्था भी रेल मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक खजाने से की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए निविदा प्रक्रिया के संबंध में निर्णय

यह हमेशा न्यायिक समीक्षा का विषय होता है। 4.2 प्रतिवादी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आर. आर. सी. निगम लिमिटेड बनाम मेट्रो लिंक एक्सप्रेस के मामले में

गांधीनगर एंड अहमदाबाद (मेगा) कंपनी लिमिटेड, (2017)

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8 एस. सी. सी. 282 ने जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित परियोजना के संबंध में, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए, जिसने याचिका को खारिज कर दिया था, उसमें किए गए मूल्यांकन को गलत माना है और संबंधित प्राधिकरण को खंड 42.5 के अस्तित्व के बावजूद बोली के आगे के मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ वर्तमान के समान थीं।

मामला। 4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही अपीलार्थी का एकमात्र तर्क स्वीकार किया जाता है, उसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी को मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हाथ प्रदान करना। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देसाई द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी उसे निविदा देने के लिए नहीं कह रहा है,

केवल प्रार्थना यह है कि इसकी बोली, जिसे भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर चरण I (प्रशासनिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन) में गलत तरीके से खारिज कर दिया जाता है।

आगे मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रत्यर्थी की बोली एल 1 की तुलना में लगभग Rs.32 करोड़ कम है। प्रतिवादी की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि निविदा की शर्तें सभी बोलीदाताओं पर समान रूप से लागू की जानी चाहिए और जे. आई. सी. ए. द्वारा वित्त पोषित/ऋण परियोजना में भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। श्री देसाई, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने से हमें निविदा के प्रासंगिक खंडों, आई. टी. बी. खंड 1.1,22.1,22.2,29.1,33.2,34 और 1.3 पर ले जाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल्यांकन अनुक्रम में पाँच चरण शामिल हैं - मूल्यांकन निम्नानुसार हैः

आई.

चरण 1-प्रशासनिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन

चरण 2-अनुपालन और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन

ii.

चरण 3-योग्यता के अनुपालन का मूल्यांकन

iii.

आवश्यकताएँ

चरण 4-तकनीकी मूल्यांकन

iv.

चरण 5-मूल्य बोली का मूल्यांकन

वी.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने भरे गए आवश्यक विवरणों के साथ फॉर्म सी. ओ. एन. 2 प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

प्रपत्र पर विधिवत मुहर लगाई गई थी, हालांकि, अनजाने में, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने फॉर्म सी. ओ. एन. 3 भी जमा किया है।

आवश्यक विवरण भरें। उक्त प्रपत्र पर भी विधिवत मुहर लगाई गई थी, हालांकि, अनजाने में, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

4.6 जे. आई. सी. सी. मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसकी रेल मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई थी और जिस पर कार्रवाई की गई थी, पैरा 2 में प्रस्तुत की गई है। 1 , प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार एक विशिष्ट अवलोकन है कि 2 बोलीदाताओं को छोड़कर प्रत्यर्थी (5/9) और अन्य के संबंध में कोई सामग्री गैर-अनुरूपता नहीं है। यह पैरा 2 में प्रस्तुत किया गया है। 3 , यह विशेष रूप से देखा गया है कि इसमें कई गैर-अनुरूपताएँ थीं बोलीदाताओं 1/9,3/9,7/9 और 9/9 द्वारा प्रस्तुत बोलियां उनके तकनीकी बोली पत्र में बताई गई स्थिति के साथ विसंगतियां पैदा करती हैं जो आईटीबी 31.2 (ए) के अनुसार एक आवश्यक दस्तावेज है।

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उन्हें आई. टी. बी. 29.1 के अनुसार गैर-अनुरूपताओं को सुधारने का अवसर दिया गया था ताकि बोली के अनुपालन की फिर से पुष्टि की जा सके। दस्तावेज़। हालाँकि, जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, आईटीबी 33.2 के विपरीत ऐसा कोई अवसर और/या स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है जो सामग्री विचलन को परिभाषित करता है और मनमाने ढंग से, प्रत्यर्थी ने ऐसा नहीं किया है।

अनुरूपता को भौतिक गैर-अनुरूपता माना गया है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की कार्रवाई को उचित रूप से भेदभावपूर्ण माना जाता है।

4.8 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अस्वीकृति का एकमात्र कारण यह है कि "हस्ताक्षर के बिना, यह अज्ञात है कि क्या यह बोलीदाता की जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है और

स्वीकृति "। अस्वीकृति के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित तर्क भी प्रत्यर्थी को प्रदान किया जाता है

इसके बाद प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को केवल प्रत्यर्थी से एक हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने के लिए कहना था, या यह स्पष्टीकरण प्राप्त करना था कि प्रत्यर्थी फॉर्म सी. ओ. एन. 2 और सी. ओ. एन. 3 की पुष्टि करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नहीं है

उक्त प्रपत्रों में की गई घोषणा से पुनः प्रस्तुत करना और आज भी इसके साथ खड़ा है और यह मूल्यांकन करने का चरण नहीं आया है कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई घोषणा सही है या नहीं और फिर भी बोली खारिज कर दी गई है [2022] 12 एस. सी. आर.

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक बोलीदाता संख्या 9/9 (एल 2) का संबंध है, उसने एक समान त्रुटि की थी जिसके तहत उक्त बोलीदाता ने आई. टी. बी. 22.2 के अनुसार साइट संगठन चार्ट पर अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाने में विफल रहा। उक्त बोलीदाता के मामले में, अपीलार्थी ने विवेकाधिकार का प्रयोग किया और उक्त बोलीदाता से इसे सुधारने का आह्वान किया।

4.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बोलीदाता संख्या 7/9 (एल 1) के संबंध में भी, हालांकि यह साइट संगठन चार्ट, विधि के बारे में विवरण प्रदान करने में विफल रहा

बयान अर्थवर्क और अन्य विवरणों के अनुसार, अपीलार्थी ने आई. टी. बी. 29.1 के संदर्भ में विवेकाधिकार का प्रयोग किया और बोलीदाता को सभी सुधार करने की अनुमति दी। दोष हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त बोलीदाता ने आईटीबी 12.1 के अनुसार बोली सुरक्षा प्रपत्र भी जमा नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोट करने के बावजूद

यह कि प्रस्तुत करना आई. टी. बी. 12.1 का उल्लंघन था, जो बोली प्रपत्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, दोष को गैर-सामग्री होने के कारण माफ कर दिया गया था।

4.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक बोलीदाता 3/9 का संबंध है, हालांकि यह प्रमुख कार्मिक का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा और एक विवरण देने में भी विफल रहा।

ए. सी. के. प्रपत्र में आवश्यकतानुसार वचन देते हुए, अपीलार्थी ने दोषों को सुधारने का अवसर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त त्रुटियाँ/गैर-अनुरूपताएँ प्रतिवादी की अनजाने में हुई त्रुटि की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उपरोक्त बोलीदाताओं को दोषों को सुधारने का अवसर दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था।

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है, फॉर्म सी. ओ. एन. 2 और सी. ओ. एन. 3 पर हस्ताक्षर नहीं करना एक अनजाने में हुई त्रुटि है, जो

इसे आई. टी. बी. 34 के साथ पठित आई. टी. बी. 33.2 के संदर्भ में गैर-सामग्री, गैर-अनुरूप कहा जा सकता है, जिसे माफ कर दिया जाना चाहिए था जैसा कि अधिक गंभीर गैर-अनुरूपता वाले अन्य बोलीदाताओं के मामले में किया गया है। 4.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पोद्दार स्टील कॉर्पोरेशन बनाम गणेश के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

इंजीनियरिंग वर्क्स एंड अदर्स (उपरोक्त) और बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड। बनाम। नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य। , (2006) 11 एस. सी. सी. 548, गैर-सामग्री गैर-अनुरूपता को माफ किया जा सकता है, भले ही ऐसी छूट की अनुमति देने वाला कोई खंड न हो।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही आई. टी. बी. 28.1 और आई. टी. बी. राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v. मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

42.5 बशर्ते कि कोई कारण नहीं दिया गया हो, प्रत्यर्थी जहां उसे निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी महसूस होती है, वह हमेशा न्यायालय का रुख कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने तथ्यों और अभिलेख की जांच करने के बाद, स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता 'प्रत्यर्थी के प्रति एलर्जी का रवैया' अपनाते हुए 'लक्ष्य पदों को बदलने' और 'अन्य बोलीदाताओं को एक लंबी रस्सी देने' में शामिल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी भी विशेष रूप से

अपीलार्थी की ओर से कथित 'दुर्भावनापूर्ण'।

4.14 अब, जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है कि आक्षेपित आदेश का व्यापक प्रभाव होगा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त टिकाऊ नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित आदेश के बाद, आज तक अपीलार्थी ने अन्य पैकेजों के लिए अनुबंध दिए हैं या देने की प्रक्रिया में है

लगभग रु। 5,000 पहले से ही करोड़।

4.15 अब जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा 2021 के आई. ए. No.128406 और 2021 के आई. ए. सं. 132078 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष अभिलेख का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए इस माननीय न्यायालय द्वारा उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ भी नहीं कहा गया है कि इसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं रखा जा सका।

4.16 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए और अपीलार्थी को आगे बढ़ने और बोली का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाए बोली की शर्तों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया

दस्तावेज़।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।

6. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को अनुमति दी है-मूल रिट याचिकाकर्ता और दिनांकित 27.04.2021 संचार को रद्द कर दिया है।

और 28.04.2021 और दिनांकित 28.04.2021 अधिसूचना जिसके द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली-मूल रिट याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह गैर-उत्तरदायी है और

परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की बोली-मूल रिट याचिकाकर्ता की आगे की जांच करके निविदा प्रक्रिया के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया है। 6.1 इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और ऐसी विदेशी वित्त पोषित परियोजना के संबंध में, उच्च [2022] 12 एस. सी. आर.

दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात के किसी भी विशिष्ट आरोप के अभाव में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना न्यायालय के लिए उचित है।

6.2 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, परियोजना की प्रकृति और कुछ प्रासंगिक कालानुक्रमिक तिथियों और घटनाओं को नोट करने, संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

6.3 वर्तमान मामला पैकेज सी8 में कार्यों के लिए जारी निविदा से संबंधित है, जो विभिन्न अन्य पैकेजों को अंतिम रूप दिए जाने का एक हिस्सा है

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के कार्यान्वयन के लिए जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुलेट ट्रेन परियोजना बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय परियोजना है। बुलेट ट्रेन परियोजना एक पूरी तरह से विदेशी वित्त पोषित परियोजना है, जिसकी परिकल्पना तब की गई थी जब जापानी और भारतीय सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार यह सहमति हुई थी कि उक्त परियोजना को पूरी तरह से रियायती आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। 1 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा एक लाख करोड़ रुपये। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, दो प्रधानमंत्रियों-जापान और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन/समझौता किया गया था, जिसमें बताया गया था कि परियोजना का वित्तपोषण और संचालन कैसे किया जाएगा। समझौता ज्ञापन से ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण राजनयिक विचार पर था और राष्ट्रों की वस्तुओं में भारत गणराज्य की स्थिति पर आधारित था, जिसके कारण भारत को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ एक बड़ा ऋण दिया गया थाः - (i) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (जो भारत में उपलब्ध नहीं है); (ii) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा भारतीय मानव संसाधन प्रशिक्षण/विकास।

उक्त परियोजनाओं के संचालन के लिए एजेंसी और उसके सलाहकार; और (iii) उक्त परियोजना के तहत संचालित होने वाली बुलेट ट्रेन 'मेक इन इंडिया' का प्रावधान। इसके बाद जे. आई. सी. ए. और रेल मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 26.09.2016 पर चर्चा हुई और परियोजना सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा दर्ज की गई।

उद्देश्य, सलाहकारों का चयन, कार्यान्वयन अनुसूची, उत्पाद (रेल मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने के लिए मसौदा और अंतिम दस्तावेज), जिनमें शामिल थेः - (1) परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी विनिर्देश और मानक (अनुवर्ती अध्ययन के तहत तैयार किए गए मानकों को छोड़कर); (2) परियोजना की बोली लगाने या कार्यान्वयन के लिए आवश्यक चित्र और डिजाइन आधार रिपोर्ट सहित बुनियादी डिजाइन दस्तावेज; (3) परियोजना की बोली लगाने या कार्यान्वयन के लिए आवश्यक चित्र और डिजाइन आधार रिपोर्ट सहित मानक डिजाइन दस्तावेज; (4) ड्राइंग और डिजाइन आधार रिपोर्ट राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड सहित विस्तृत डिजाइन दस्तावेज।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

परियोजना की बोली या कार्यान्वयन के लिए आवश्यक; (5) बोली दस्तावेज, जिसमें पूर्व-योग्यता दस्तावेज (इसके बाद "बोली दस्तावेज" के रूप में संदर्भित); (6) सामान्य व्यवस्था ड्राइंग (इसके बाद "जी. ए. डी". के रूप में संदर्भित); (7) परियोजना का लागत अनुमान; (8) निर्माण मानक; और (9) अद्यतन पुनर्वास कार्य योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल हैं।

जो संयुक्त एफ/एस के तहत तैयार किए गए थे।

6.4 की भूमिका के संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई

जे. आई. सी. ए., सलाहकार (जे. आई. सी. सी.) और रेल मंत्रालय। सामान्य परामर्श के लिए चर्चा के रिकॉर्ड के प्रासंगिक खंड (को छोड़कर) जे. आई. सी. ए. और रेल मंत्रालय के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना का पर्यवेक्षण) इस प्रकार हैः

" 1.परियोजना के उद्देश्य

अंतिम संरेखण डिजाइन (एफ. ए. डी.) तैयार किया जा रहा है।

परियोजना के लिए बोली लगाने या कार्यान्वयन के लिए आवश्यक डिजाइन आधार रिपोर्ट (डिजाइन में ध्यान में रखी गई शर्तों और आवश्यकताओं का सेट), बोली दस्तावेज, इंजीनियरिंग लागत अनुमान और परियोजना के लिए निर्माण मानक जिन्हें अपनाया जाना है। रेल मंत्रालय द्वारा (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

एम. ओ. आर.), सामान्य व्यवस्था आरेखण (इसके बाद "जी. ए. डी". के रूप में संदर्भित), पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव तैयार करना।

मूल्यांकन और खरीद के लिए एम. ओ. आर. का समर्थन करना

ठेकेदार। एम. ओ. आर. द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि अध्ययन द्वारा तैयार किए जाने वाले चित्र और दस्तावेजों का उपयोग इसके लिए किया जाएगा।

परियोजना की खरीद, उन्हें अपनाने के बाद ही और

एमओआर द्वारा अनुमोदित।

3.सलाहकारों का चयन

अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए जे. आई. सी. ए. द्वारा एक जापानी सलाहकार फर्म (ओं) का चयन किया जाएगा और उन्हें नियुक्त किया जाएगा (इसके बाद "जे. आई. सी. ए. सलाहकार (ओं)" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

6.2 उत्पाद (गोद लेने के लिए मसौदा और अंतिम दस्तावेज)

एमओआर)

तकनीकी विनिर्देश और मानक, जैसा कि आवश्यक है

(1)

परियोजना (अनुवर्ती कार्रवाई के तहत तैयार की गई परियोजनाओं को छोड़कर)

अध्ययन);

(2)

ड्राइंग और डिजाइन सहित बुनियादी डिजाइन दस्तावेज़ बोली लगाने या लागू करने के लिए आवश्यक आधार रिपोर्ट

परियोजना;

ड्राइंग और डिजाइन सहित मानक डिजाइन दस्तावेज़

(3)

बोली लगाने या लागू करने के लिए आवश्यक आधार रिपोर्ट

परियोजना;

(4) बोली लगाने या लागू करने के लिए आवश्यक ड्राइंग और डिजाइन आधार रिपोर्ट सहित विस्तृत डिजाइन दस्तावेज़

परियोजना;

पूर्व-योग्यता दस्तावेजों सहित बोली दस्तावेज

(5)

(इसके बाद "बोली दस्तावेज" के रूप में संदर्भित);

(6)

सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र (इसके बाद संदर्भित)

के रूप में "जी. ए. डी".); परियोजना की लागत का अनुमान;

(7)

निर्माण मानक; और

(8)

अद्यतन पुनर्वास कार्रवाई पियोन, पर्यावरण प्रभाव

(9)

मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना जो

संयुक्त एफ/एस के तहत तैयार किए गए थे।

7 .

व्यवस्थाओं को लागू करना

अध्ययन शुरू करने के लिए पूर्व शर्त

7.1

एम. ओ. आर. अनुलग्नक 2 में वर्णित वस्तुओं को अपनी लागत और खर्च पर पूरा करेगा, और उन्हें जे. आई. सी. ए. को संतोषजनक तरीके से प्रस्तुत करेगा।

अध्ययन, न तो जे. आई. सी. ए. और न ही जे. आई. सी. ए. सलाहकारों का अध्ययन शुरू करने का कोई दायित्व होगा जब तक कि ऐसी पूर्व शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं।

7.3

कार्यान्वयन व्यवस्था

एमओआर और जे. आई. सी. ए. सलाहकार जिम्मेदार होंगे।

संरक्षण की एक सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तरीके से।

ऑल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड V. एन. टी. ई. सी. ए. आर. एल. ओ. लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

जे. आई. सी. ए. सलाहकार मसौदा प्रारूप तैयार करेंगे।

(1)

इस अध्ययन के तहत आवश्यक दस्तावेज और तकनीकी विनिर्देश और मानक और उन्हें एम. ओ. आर. को प्रस्तुत करें।

(2)

एमओआर मसौदा डिजाइन दस्तावेजों की समीक्षा करेगा।

साथ ही तकनीकी विनिर्देश और मानक। यह जे. आई. सी. ए. सलाहकार (ओं) द्वारा मसौदा डिजाइन दस्तावेज़ जमा करने के 15 दिनों के भीतर, यदि कोई हो, टिप्पणी देगा। जे. आई. सी. ए. सलाहकार इन टिप्पणियों पर विचार करेंगे और उन्हें शामिल करेंगे। उचित रूप से, जहाँ भी जे. आई. सी. ए. सलाहकार इसे आवश्यक समझते हैं। यदि उक्त समय सीमा तक एमओआर द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा

कि एम. ओ. आर. के पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

(3)

इसके बाद जे. आई. सी. ए. सलाहकार इन्हें आगे बढ़ाएंगे।

एम. ओ. आर. की टिप्पणियों के साथ दस्तावेज़ और तकनीकी विनिर्देश और मानक पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी समीक्षा के लिए समिति

8.2 .

(4)

एम. ओ. आर. अध्ययन आधारित परिणामों को अपनाएगा।

अंतिम दस्तावेज प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर समिति की सिफारिशों पर

अनुशंसित। यदि गोद लेने की सूचना

उक्त समय सीमा तक एम. ओ. आर. जारी नहीं किया जाता है, दस्तावेज़/परिणाम एम. ओ. आर. द्वारा अपनाए गए माने जाएंगे। जे. आई. सी. ए. इस तरह के मानित गोद लेने के बाद लिखित रूप में एम. ओ. आर. को सूचित करेगा।

जेआईसीए सलाहकार (ओं)

जे. आई. सी. ए. सलाहकार एम. ओ. आर. और जे. आई. सी. ए. के बीच चर्चा के इस रिकॉर्ड में निर्धारित टी. ओ. आर. की सीमा तक सभी उचित तकनीकी परिश्रम के साथ एम. ओ. आर. की टिप्पणियों और अनुरोधों पर काम करेगा।

परामर्श जे. आई. सी. ए., जे. आई. सी. ए. सलाहकार (ओं) और एम. ओ. आर. किसी भी [2022] 12 एस. सी. आर. सहित अध्ययन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में सद्भावना से एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस दस्तावेज़ के बीच विवाद। जब विवाद होता है कि

तीनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, दोनों पक्ष इस तरह के विवाद को हल करने के लिए अपने संबंधित सरकारी अधिकारियों से परामर्श करेंगे।

अध्ययन के उत्पाद

जे. आई. सी. ए. सलाहकारों की सेवाएं

जे. आई. सी. ए. सलाहकार निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगेः

(1) हाई स्पीड रेल प्रणालियों के डिजाइन और संचालन के लिए आवश्यक सभी तकनीकी विनिर्देशों और मानकों को उनकी तकनीकी टिप्पणी (फॉलो के तहत तैयार किए गए मानकों को छोड़कर) के साथ अनुकूलित करें और प्रदान करें।

ऊपर अध्ययन)

बुनियादी डिजाइन दस्तावेजों की तैयारी जिसमें शामिल हैं -

(2)

ड्राइंग और डिजाइन आधार रिपोर्ट आवश्यक

परियोजना की बोली या कार्यान्वयन;

(3)

मानक डिजाइन दस्तावेजों की तैयारी जिसमें शामिल हैं ड्राइंग और डिजाइन आधार रिपोर्ट आवश्यक

परियोजना की बोली या कार्यान्वयन;

(4) परियोजना की बोली लगाने या कार्यान्वयन के लिए आवश्यक चित्र और डिजाइन आधार रिपोर्ट सहित विस्तृत डिजाइन दस्तावेज़ तैयार करना; (5)

बोली दस्तावेजों की तैयारी;

(6)

इंजीनियरिंग लागत अनुमान तैयार करना; निर्माण मानक तैयार करना;

(7)

(8)

ठेकेदारों की खरीद के लिए एम. ओ. आर. को सहायता;

जी. ए. डी. की तैयारी; और

(9)

(10) पुनर्वास कार्य योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा और अद्यतन, जो इसके तहत तैयार की गई थी

यह एम. ओ. आर. की जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक प्रदान करे, जे. आई. सी. ए. और जे. आई. सी. ए. सलाहकारों को सटीक और उपयुक्त डेटा/जानकारी, ताकि ए. एल. हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतिम रूप दिया जा सके।

एन. टी. ई. सी. ए. आर. एल. ओ. लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

(2) से (4) में सूचीबद्ध दस्तावेज़, (इसके बाद सामूहिक रूप से)

"प्रारूप प्रारूप दस्तावेज़") और (1), (5) से (7) और (9) से (10) के रूप में संदर्भित किया जाता है ताकि वे हो सकें

केवल खरीद (बोली) प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है

और परियोजना का निर्माण कार्य।

एमओआर द्वारा गोद लेना

संबंधित सरकारी अधिकारियों के अनुरोध पर

जापान, जे. आई. सी. ए. विशेषज्ञों से बनी एक समिति का गठन करेंगे

जापानी उच्च गति रेलवे (इसके बाद के रूप में संदर्भित) " समिति) संगठन संरचना की समीक्षा करने के लिए,

ड्राफ्ट डिजाइन के लिए प्रक्रिया और जी. सी. का काम

दस्तावेज़, तकनीकी विनिर्देश और मानक जो हैं -

अध्येता अध्ययन और अध्ययन के माध्यम से विकसित किया गया। द.

समिति अपनी समीक्षा के लिए जे. आई. सी. ए. की आवश्यकता हो सकती है

समिति, संतुष्ट होने पर, एक पत्र जारी करेगी एम. ओ. आर. ने मसौदा डिजाइन दस्तावेजों की सिफारिश की

एम. ओ. आर. द्वारा अपनाया जाना। एम. ओ. आर. समीक्षा के लिए तकनीकी निरीक्षण करेगा

अंतिम डिजाइन दस्तावेजों के तकनीकी पहलू और

निर्माण मानक और अंतिम डिजाइन को अपनाना

दस्तावेज़। बोली दस्तावेज, इंजीनियरिंग लागत अनुमान, और लिखित रूप में निर्माण मानक,

परियोजना की निष्पादन एजेंसी के रूप में, इनके उपयोग के लिए

परियोजना पर दस्तावेज, अपने खर्च पर।

एमओआर स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि जे. आई. सी. ए. और

समिति, या समिति के सदस्य वहन नहीं करेंगे

उनकी समीक्षा के संबंध में कोई दायित्व और जिम्मेदारी

मसौदा डिजाइन दस्तावेज़ और तकनीकी विनिर्देश

और मानक। एम. ओ. आर. क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रहेगा

जे. आई. सी. ए., समिति और समिति के सदस्यों ने विरोध किया

किसी भी तीसरे पक्ष से कोई दावा जो उत्पन्न हो सकता है

इस तरह की समीक्षा के साथ संबंध।

चर्चा के उक्त अभिलेख के अनुलग्नक I के अनुसार, जे. आई. सी. ए.

खंड 2 में उल्लिखित सभी पहलुओं पर जी. ए. डी. तैयार करना था, बोली दस्तावेज तैयार करना। खंड 2.8 और खंड

हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक निम्नलिखित हैं:

" 2.8 बोली दस्तावेजों की तैयारी

जे. आई. सी. ए. सलाहकार (ओं) प्रत्येक अनुबंध पैकेज के लिए जापानी ओ. डी. ए. ऋणों के तहत मानक बोली दस्तावेजों के नवीनतम संस्करण के अनुसार सभी प्रासंगिक विनिर्देशों, चित्रों और अन्य दस्तावेजों के साथ मसौदा बोली दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

ए। बोलीदाताओं को निर्देश;

. बी. एन. एम. बोली फॉर्म;

. जेड सी

अनुबंध की सामान्य शर्तें

;

. एन. डी

अनुबंध की विशेष शर्तें

;

सामान्य विशिष्टताएँ;

हे [[न। ई.

तकनीकी विशिष्टताएँ;

हैं।

जी। विस्तृत डिजाइन पैकेजों के लिए डिजाइन ड्राइंग और डिजाइन और निर्माण के लिए मूल्य अनुसूची के आधार पर मात्रा का बिल

पैकेज;

एच.

डिजाइन ड्राइंग;

आई.

अनुबंध प्रपत्र;

जे.

बोली सुरक्षा प्रपत्र;

के.

प्रदर्शन सुरक्षा प्रपत्रः और

I. नियोक्ता की आवश्यकताएँ।

3) निविदा सहायता 3) -1 पूर्व-योग्यता में सहायता (पी/क्यू)

जे. आई. सी. ए. सलाहकारः

तकनीकी और वित्तीय आवश्यकताओं, क्षमता और /

ए।

या परियोजना की तकनीकी विशेषताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पी/क्यू मानदंड के लिए अनुभव

दोनों देशों में उद्योग;

नवीनतम के अनुसार पी/क्यू दस्तावेजों का मसौदा तैयार करें

बी।

जापानी ओ. डी. ए. ऋणों के तहत मानक पूर्व-योग्यता दस्तावेजों का संस्करण,

पी/क्यू घोषणा, परिशिष्ट/में एमओआर की सहायता करें

सी।

शुद्धिपत्र, और आवेदकों के प्रश्नों का स्पष्टीकरण,

डी।

पी/क्यू आवेदकों का मूल्यांकन करने में एम. ओ. आर. की सहायता करें

पी. क्यू. दस्तावेजों में निर्धारित मानदंडों के साथ; और राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

अनुमोदन के लिए पी/क्यू मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करें

ई.

एमओआर की पी/क्यू मूल्यांकन समिति।

3) -2 बोली प्रक्रिया में सहायता

जे. आई. सी. ए. सलाहकारः

बोली आमंत्रण जारी करने, पूर्व-बोली आयोजित करने में एमओआर की सहायता करें

ए।

बैठकें, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र जारी करना और स्पष्टीकरण

बोलीदाताओं के प्रश्नों के लिए;

बी।

के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन करने में एमओआर की सहायता करें

बोली दस्तावेजों में निर्धारित मानदंड; बोली द्वारा अनुमोदन के लिए बोली मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करें।

सी.

एमओआर की मूल्यांकन समिति;

कार्यसूची तैयार करके अनुबंध वार्ता में एम. ओ. आर. की सहायता करें

डी।

और बातचीत को सुविधाजनक बनाना। कार्यवृत्त की तैयारी सहित

वार्ता बैठकों का; और

एक अनुबंध समझौते का मसौदा तैयार करें।

ई.

खरीद दिशानिर्देश, जो ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग था। बोली दस्तावेज जे. आई. सी. सी.-सलाहकार द्वारा तैयार किए गए थे। जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित/तौला गया। उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी निविदा प्रक्रिया सलाहकार-जे. आई. सी. सी. द्वारा की जानी थी, जिसे जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था और रेल मंत्रालय को केवल एक कार्यान्वयन एजेंसी कहा जा सकता है।

6.7 कि इसके बाद सामान्य परामर्श के लिए चर्चा के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए निविदाएं आमंत्रित की गईं

जापानी ओ. डी. ए. ऋणों के तहत खरीद के लिए परियोजना और ऋण समझौता और जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दिशानिर्देश और दिशानिर्देश। बोली दस्तावेज जे. आई. सी. सी. (सलाहकार) और [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा तैयार किए गए थे।

जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन जे. आई. सी. सी. (सलाहकार) द्वारा किया गया था, जिसे जे. आई. सी. ए. द्वारा नियुक्त किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जे. आई. सी. सी. की नियुक्ति के संदर्भ में की गई थी परियोजना के निर्माण के लिए पूर्व-योग्यता दस्तावेजों और ठेकेदारों की खरीद सहित बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय का समर्थन करने के लिए विशिष्ट जनादेश के साथ उधारकर्ता (भारत गणराज्य) और जे. आई. सी. ए. के बीच विशिष्ट समझ। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बोली दस्तावेज के अनुसार तैयार किए गए थे।

जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश और ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार जैसा कि ऊपर देखा गया है।

6.8 मूल रिट याचिकाकर्ता सहित नौ बोलीदाताओं ने अपनी बोली प्रस्तुत की। नौ बोलीदाताओं की उस तकनीकी बोली का मूल्यांकन जे. आई. सी. सी. द्वारा जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। द. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन मूल्यांकन और योग्यता मानदंड के अनुसार चार चरणों में किया गया था, (i)-चरण 1-प्रशासनिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन; (ii) चरण 2-अनुपालन और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन; (iii) चरण 3-योग्यता आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन; और (iv) चरण 4-तकनीकी मूल्यांकन।

6.9 ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान,

चार बोलीदाताओं (प्रत्यर्थी के अलावा) से स्पष्टीकरण मांगा गया था इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता, जो बोलीदाता संख्या 5/9 था)। यह पाया गया कि इसमें प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता में भौतिक विचलन था

इसकी बोली और इसलिए इसे चरण 1 पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। द्वारा प्रस्तुत बोली

अन्य बोलीदाता, अर्थात 2/9,4/9,6/9 और 8/9, जिनमें भी भौतिक विचलन था, उनकी संबंधित बोलियों का आगे मूल्यांकन नहीं किया गया। एक सचेत निर्णय

सलाहकार-जे. आई. सी. सी. द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए लिया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली गैर-उत्तरदायी थी और भौतिक विचलन से पीड़ित थी। मूल्यांकन और योग्यता के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दिनांक 23.03.2021 के संचार द्वारा

मानदंड, जे. आई. सी. सी. (सलाहकार) द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया कि पाँच बोलीदाता नामतः बोलीदाता संख्या। 2/9 , 4/9 , 5/9 , 6/9 और 8/9 को अयोग्य ठहराया जाए। इसके बाद, जे. आई. सी. सी. ने अंतिम तकनीकी बोली मूल्यांकन रिपोर्ट के मसौदे को स्वीकार करते हुए एक सचेत निर्णय लिया और यह देखा गया कि जे. आई. सी. सी. ने बोलीदाता संख्या की तकनीकी बोलियों का निर्धारण किया है। 1/9 , 3/9 , 7/9 और 9/9 काफी हद तक प्रतिक्रियाशील हैं। कि इसके बाद जे. आई. सी. ए. ने सहमति व्यक्त की

जे. आई. सी. सी. का निर्णय यह मानते हुए कि उपरोक्त चार बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां काफी हद तक उत्तरदायी हैं और बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इसके बाद जे. आई. सी.

सी. ने एन. एच. एस. आर. सी. एल. को उपरोक्त राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड की मूल्य बोली खोलने की सिफारिश की।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

जे. आई. सी. ए. की अंतिम तकनीकी बोली मूल्यांकन रिपोर्ट की सहमति के बाद चार बोलीदाताओं ने सहमति व्यक्त की, जैसा कि ऊपर देखा गया है। 6.10 उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित/सहमत जे. आई. सी. सी. (सलाहकार) द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है।

मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में प्रस्तुत बोली पर

6.11 उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि बोली को उत्तरदायी नहीं मानने का निर्णय जे. आई. सी. सी. का था। अनुबंध के तहत तंत्र, अपीलार्थी के पास जे. आई. सी. सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन से विचलित होने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थी या भारत सरकार द्वारा किया गया कोई भी विचलन जे. आई. सी. ए. द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकता है, जो लगभग रु। 1 बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये, जिसे जे. आई. सी. ए. और भारत गणराज्य/भारत के राष्ट्रपति के बीच सहमत नियमों और शर्तों पर वित्त पोषित किया गया था। अंततः जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. को यह निर्णय लेना है कि किसी विशेष बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली उत्तरदायी है या नहीं और/या बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस बात पर गौर किया जाता है, वह यह है कि कुछ बोलीदाताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया था और मूल रिट याचिकाकर्ता को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय ने माना है कि अपीलार्थी की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की है कि जे. आई. सी. सी. का यह निर्णय जे. आई. सी. ए. द्वारा सहमत था कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली गैर-उत्तरदायी और बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि जे. आई. सी. सी. ने प्रारंभिक चरण में कुछ बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांगना उचित समझा, हालांकि, यह पाया गया कि प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली भौतिक विचलन से पीड़ित थी, जे. आई. सी. सी. ने मूल रिट याचिकाकर्ता से कोई स्पष्टीकरण और/या स्पष्टीकरण नहीं मांगना उचित समझा और प्रतिवादी-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को पहले चरण में ही, यानी तकनीकी मूल्यांकन के चरण में ही खारिज कर दिया गया था।

6.12 पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि इसमें अपीलार्थी ने जे. आई. सी. ए. द्वारा सहमत जे. आई. सी. सी. के निर्णय के अनुसार कार्य किया।

संविदात्मक दायित्व और ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के साथ-साथ जापानी ओ. डी. ए. ऋणों और समझौता ज्ञापन के तहत खरीद के लिए दिशानिर्देश और वे नियम और शर्तें जिन पर जे. आई. सी. ए. लगभग एक बड़ी राशि का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हुआ।

रु. 1 जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. को अंतिम प्राधिकरण कहा जा सकता है और जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय अपीलार्थी द्वारा नहीं लिया जा सकता था, विशेष रूप से बोली प्रक्रिया आदि के संबंध में। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी राशि के वित्तपोषण के लिए सहमत होने वाली एजेंसी होने के नाते जे. आई. सी. ए. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जे. आई. सी. ए. का हमेशा पूरी परियोजना में दबदबा रहेगा। अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, हम संतुष्ट हैं कि अपनाई गई बोली प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष है और किसी भी मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार अपीलार्थी के खिलाफ या उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात का कोई आरोप नहीं है

जे. आई. सी. सी. और/या जे. आई. सी. ए.

7. उपरोक्त के आलोक में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय में न्यायसंगत है प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने में अपीलार्थी/जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के निर्णय को इस आधार पर दरकिनार करना कि यह बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के लिए गैर-उत्तरदायी/गैर-अनुपालन है।

7.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उनके साथ विचार करने की आवश्यकता है - तथ्य यह है कि बुलेट ट्रेन परियोजना एक उच्च लागत और मेगा सरकार है

सरकारी अनुबंध/लोक निर्माण विभाग अनुबंध/सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंध, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक धन से वित्त पोषित होते हैं, यानी भारत या राज्य की समेकित निधि और राज्य के वैधानिक/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। यह नहीं हो सकता। इस बात पर विवाद है कि वर्तमान मामले में, जापान एक मित्रवत संप्रभु देश होने के नाते-एक विकसित राष्ट्र एक अन्य मित्रवत राज्य-विकासशील राष्ट्र-के पक्ष में एक राष्ट्रीय परियोजना के लिए एक बड़ी राशि के लिए सहमत हुआ है-वर्तमान मामले में, भारत गणराज्य। इतनी बड़ी राशि/राशि का वित्त पोषण किया जाता है

विकसित राष्ट्र द्वारा विकासशील राष्ट्र-भारत गणराज्य के विकास के लिए बनाई गई परियोजना को लागू करना। अनुबंध किए जाते हैं और बड़ी राशि का वित्त पोषण गैर-बातचीत के नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाता है और इसलिए, विदेशी विकसित राष्ट्र, जिसने राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v पर सहमति व्यक्त की है।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

स्टेज उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था। बोलीदाता की ओर से की गई दलीलों में से एक यह थी कि जे. आई. सी. ए. से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए था और यह निर्णय जे. आई. सी. ए. की राय के आधार पर नहीं लिया जा सकता था। मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से इस निवेदन को अस्वीकार करते हुए कि जे. आई. सी. ए. को ऐसा नहीं करना चाहिए यह देखा गया है कि जब पूरी परियोजना का वित्तपोषण जे. आई. सी. ए. द्वारा किया जा रहा है, और जब जे. आई. सी. ए. पूरी परियोजना का वित्तपोषण करने जा रहा है, तो इसकी लागत रु। 10,773 जे. आई. सी. ए. से यह उम्मीद की जाती है कि निविदा देने की पूरी प्रक्रिया सभी चरणों में जे. आई. सी. ए. की सहमति प्राप्त करने के बाद की जानी है और की जा रही है। यह माना गया कि निविदा प्रक्रिया के हर चरण में जे. आई. सी. ए. को शामिल करने और उस पर जे. आई. सी. ए. की सहमति प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। वर्तमान मामले में भी, जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित/सहमत जे. आई. सी. सी. के निर्णय के आधार पर तकनीकी स्तर पर मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में अपीलकर्ता निगम द्वारा कोई गलती नहीं की गई है।

7.3 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि निविदा दस्तावेजों के अनुसार, सभी बोलीदाताओं को आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक था

निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें। किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई विचलन नहीं किया जा सकता है। निविदा के नियम और शर्तें

जे. आई. सी. ए. द्वारा जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेजों का निपटारा किया गया था, जिनका मूल रिट याचिकाकर्ता सहित सभी बोलीदाताओं द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। इसलिए, जब जे. आई. सी. ए. द्वारा निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का निपटारा किया जाता है, तो यह अंततः जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. को निर्णय लेना होता है कि क्या किसी विशेष बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली गैर-उत्तरदायी है और/या बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए, जब जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत बोली पर एक सचेत निर्णय लिया गया है।

मूल रिट याचिकाकर्ता का बोली दस्तावेजों की तकनीकी आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी/गैर-अनुपालन होना, जब तक कि वे विशिष्ट न हों।

दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात के आरोप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जांच का विषय नहीं हो सकते थे।

7.4 इस स्तर पर, एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम ट्राफलगर हाउस

निर्माण (आई) लिमिटेड और अन्य। , (1997) 1 एस. सी. सी. 738 की आवश्यकता है संदर्भित किया गया। उस मामले में, इस न्यायालय के समक्ष, बोलीदाता द्वारा दिया गया प्रस्ताव, जो एल 1 पाया गया था, को परामर्श के बाद स्वीकार नहीं किया गया था

एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि किसी देश के लिए इतनी अधिक लागत वाली परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है जब तक कि वित्तीय संस्थान एशियाई विकास बैंक और/या विश्व बैंक ऋण/सब्सिडी प्रदान नहीं करते। यह भी देखा गया है कि जब ऐसे वित्तीय संस्थान इतना बड़ा ऋण देते हैं, तो वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी परियोजना के लिए जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, उसे विनिर्देशों के अनुसार और निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए और पुरस्कार देने की प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जाना चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, एक ओर बैंक और सलाहकार के बीच कुछ विवाद था, जिसे इस सवाल पर बोलियों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था कि क्या एक निर्दिष्ट अवधि के बाद बोली दस्तावेजों में कोई सुधार करने की कोई शक्ति है। उच्च न्यायालय बोली दस्तावेजों के कुछ खंडों को समझने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तरह का सुधार स्वीकार्य था, और इसलिए, बैंक उसमें अपीलार्थी के पक्ष में अनुबंध देने पर जोर नहीं दे सकता था। इस न्यायालय ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को स्वीकार नहीं किया कि यह किसी न्यायालय के लिए हस्तक्षेप की अनुमेय सीमाओं के भीतर नहीं था, विशेष रूप से जब न्यायालय ने अनुदान में कोई दुर्भावना/पक्षपात नहीं पाया है।

अनुबंध। 7.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने

मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने के लिए अपीलार्थी का निर्णय गैर-उत्तरदायी और सामग्री विचलन से पीड़ित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आधार यह देखते हुए कि अन्य बोलीदाताओं को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था, लेकिन मूल रिट याचिकाकर्ता को नहीं बुलाया गया था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी ने जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निर्णय लिया था। जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. ने राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v की बोली को अस्वीकार करने का एक सचेत निर्णय लिया।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

मूल रिट याचिकाकर्ता को गैर-उत्तरदायी/गैर-शिकायत के रूप में और उसे भौतिक विचलन पाया गया। 7.6 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिसे काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली कहा जा सकता है, उसे अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है

33.2 . उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में कहा है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली कहा जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि

उल्लेख किया कि जब निविदा दस्तावेज के लेखक, वर्तमान मामले में, जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. ने एक सचेत निर्णय लिया था कि बोली द्वारा प्रस्तुत किया गया था

प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ता को गैर-उत्तरदायी और भौतिक विचलन से पीड़ित कहा जा सकता है, यह उच्च न्यायालय के लिए विचार करने/राय देने के लिए नहीं था कि क्या मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली है या नहीं जब तक कि निर्णय न हो विकृत और/या दुर्भावना और/या पक्षपात से पीड़ित पाया गया।

7.7 पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविदात्मक दायित्व के तहत, यह अपीलार्थी के लिए खुला नहीं था-निगम

और/या यहाँ तक कि भारत गणराज्य ऋण समझौते और/या जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के किसी भी नियम और शर्तों से विचलित हो जाए। इसलिए, दुर्भावनापूर्ण/मनमानेपन और/या पक्षपात के किसी भी आरोप के अभाव में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. सी. द्वारा लिए गए एक सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है।

जे. आई. सी. ए., जिसके बाद अपीलार्थी आया है।

7.8 इस स्तर पर, निविदा मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता हैः

7.8. 1 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर के मामले में

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 4305, इस न्यायालय ने पैरा 11 से 13 और 15 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 11. हाल ही में, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम. एस. एल. एल.-एस. एम. एल. (ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम), (2016) 8 एस. सी. सी. 622, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निविदाकार की बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने में परियोजना के नियोक्ता या मालिक की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण हो या किसी का पक्ष लेने का इरादा हो। इसी तरह, निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्णय इतना मनमाना या तर्कहीन न हो कि न्यायालय कह सके कि निर्णय ऐसा है जिस पर कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी उचित रूप से और कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया या [2022] 12 एस. सी. आर.

निर्णय विकृत होना चाहिए और न कि केवल दोषपूर्ण या गलत या

गलत है। जी. वाई. टी.-टी. पी. एल. द्वारा ऐसा कोई चरम मामला नहीं बनाया गया था।

उच्च न्यायालय में या हमारे समक्ष संयुक्त उद्यम।

12. द्वारकादास मरफतिया एंड सन्स बनाम। बॉम्बे का बंदरगाह,

(1989) 3 एस. सी. सी. 293, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संवैधानिक न्यायालय हैं

निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित। टाटा सेलुलर वी। भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651 ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि यदि किसी निर्णय को चुनौती दी जाती है (निर्णय एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया है), तो संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं यदि निर्णय विकृत है। लेकिन संवैधानिक

अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे हस्तक्षेप करने में संयम बरतें

प्रशासनिक निर्णय और इसके दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए

प्रशासनिक प्राधिकरण। जगदीश मंडल बनाम में इसकी पुष्टि की गई थी। उड़ीसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 517, जैसा कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में उल्लिखित है। एस. एल. एल.-एस. एम. एल. (संयुक्त उद्यम संघ), (2016) 8 एससीसी 622।

13. दूसरे शब्दों में, निर्णय के साथ केवल असहमति

प्रक्रिया बनाना या प्रशासनिक प्राधिकरण का निर्णय है संवैधानिक अदालत के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दुर्भावना की सीमा, किसी का पक्ष लेने का इरादा या मनमानेपन, तर्कहीनता या विकृति को संवैधानिक अदालत के हस्तक्षेप करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया या निर्णय के साथ।

15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना के मालिक या नियोक्ता,

निविदा दस्तावेज लिखने के बाद, सबसे अच्छा व्यक्ति है

इसकी आवश्यकताओं को समझें और उनकी सराहना करें और इसकी व्याख्या करें। दस्तावेज़। संवैधानिक अदालतों को इसे टालना चाहिए।

निविदा दस्तावेजों की समझ और सराहना, जब तक कि समझ या प्रशंसा में दुर्भावना या विकृति है।

या निविदा शर्तों की शर्तों को लागू करने में। यह है।

संवैधानिक न्यायालय लेकिन यह अपने आप में एक कारण नहीं है दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करना।

7.8. 2 बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड के मामले में बनाम। नायर कोयला

आइसेस लिमिटेड और ओआरएस। , (2006) 11 एस. सी. सी. 548, पैरा 66 में उल्लिखित बिंदु पर इस न्यायालय के अमेरिकी निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस टी ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

टाइनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v. मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

" 66. हम भी नए की ओर अपनी आँखें बंद नहीं कर रहे हैं।

कानून जैसा कि अब है, में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्णयों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(i) यदि आवश्यक शर्तें हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए।

के लिए;

((ii) यदि सामान्य रूप से छूट की कोई शक्ति नहीं है, तो

उसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा और सख्त अनुपालन का सिद्धांत

लागू किया जाएगा जहां सभी पक्षों के लिए अनुपालन करना संभव है ऐसी सभी शर्तों के साथ पूरी तरह से;

(iii) यदि, हालांकि, सभी के संबंध में एक विचलन किया जाता है

ऐसी किसी भी शर्त के संबंध में पक्षकारों को, आम तौर पर फिर से छूट की शक्ति मौजूद मानी जा सकती है;

(iv) वे पक्ष जिन्होंने इस तरह की छूट का लाभ उठाया है।

सामान्य रूप से संबंध में एक अलग रुख लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

विशेष रूप से निविदा अनुबंध के एक अन्य भाग के अनुपालन के लिए जब वह भी सभी शर्तों का पालन करने की स्थिति में नहीं था

पूरी तरह से निविदा की, जब तक कि अदालत अन्यथा छूट नहीं पाती ऐसी स्थिति जो प्रकृति में आवश्यक होने के कारण शिथिल नहीं की जा सकती थी और

इस प्रकार यह पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था।

(v) जब कोई निर्णय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है।

सभी द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज पर उचित विचार करने पर निविदाकर्ता अपनी योग्यता के आधार पर और यदि यह अंततः पाया जाता है कि

सफल बोलीदाताओं ने वास्तव में इसका काफी हद तक पालन किया था

उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई थीं, सामान्य रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है;

(vi) ठेकेदार गुट नहीं बना सकते। अगर इसके बावजूद

समान, उनकी बोलियों पर विचार किया जाता है और उन्हें एक प्रस्ताव दिया जाता है

सबसे कम निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों के साथ मेल खाते हुए, जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी;

((vii) जहां कोई निर्णय विशुद्ध रूप से सार्वजनिक रूप से लिया गया है।

हित में, न्यायालय को आम तौर पर न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए। 7.8. 3 मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम के मामले में।

कर्नाटक का, (2012) 8 एस. सी. सी. 216, विभिन्न पर विचार करने के बाद

इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय, विशेष रूप से, इसके बाद

जगदीश मंडल (ऊपर) और कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में निर्णय, पैरा में

डी 24, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" 23. उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं -

गीः

(क) अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता राज्य द्वारा कार्रवाई में निष्पक्षता है, और सार और सार में गैर-मनमानेपन निष्पक्ष खेल का दिल की धड़कन है। ये कार्य न्यायिक समीक्षा के लिए केवल इस हद तक उत्तरदायी हैं कि राज्य को किसी स्पष्ट कारण के लिए वैध रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। यदि राज्य तर्कसंगतता की सीमा के भीतर कार्य करता है, तो इसे लेना वैध होगा।

(ख) निविदा के मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में है और कार्यपालिका की ऐसी कार्रवाई को निरस्त करने के अलावा इस प्रक्रिया में अदालतों की शायद ही कोई भूमिका है जो मनमाना या अनुचित साबित होती है। यदि सरकार इसके अनुरूप कार्य करती है कुछ स्वस्थ मानकों और मानदंडों जैसे कि निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंध प्रदान करना, उन परिस्थितियों में, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप बहुत सीमित है;

(ग) निविदा दस्तावेज की शर्तों को तैयार करने और अनुबंध देने के मामले में, राज्य प्राधिकरणों को अधिक अक्षांश स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जब तक कि

निविदा प्राधिकरण की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और अपनी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पाई गई है। उचित नहीं है;

सरकार के साथ व्यापार करने के मौलिक अधिकार का दावा कर सकते हैं। 24. इसलिए, निविदा में हस्तक्षेप करने से पहले एक अदालत या

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए वास्तविक मामलों को

स्वयं के लिए निम्नलिखित प्रश्न हैंः

प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय या किसी का पक्ष लेने का इरादा; या क्या प्रक्रियाटेड या लिया गया निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित v.

पहुँच गया "? और ((ii) क्या जनहित प्रभावित होता है?

यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

7.8. 4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एंड एन. आर. के मामले में।

अप्रयोज्य। यह आगे देखा गया है कि एन. आई. टी. की अवधि आवश्यक है या नहीं, यह नियोक्ता द्वारा लिया गया निर्णय है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और उस निर्णय की दृढ़ता पर अदालत द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने के लिए बोली को खारिज कर दिया गया था। किसी अन्य निविदा के जीटीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करके ई. एम. डी. जमा करते समय और बोलीदाता ने यह दलील दी कि वर्तमान निविदा का बैंक गारंटी प्रारूप अस्पष्ट है। बोलीदाता के दावे को खारिज करना और निर्णय को बरकरार रखना

निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी जमा करने के गैर-अनुपालन के लिए बोली की अस्वीकृति के नियोक्ता की, इस न्यायालय ने पैरा 31 से 38,42 से 44,47 से 49,52,55 और 56 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 31. विद्वान महान्यायवादी ने हमें सूचित किया कि 11 बोलीदाताओं में से 9 ने निर्धारित में बैंक गारंटी प्रस्तुत की है।

और सही प्रारूप। इन परिस्थितियों में, हमारी विश्वसनीयता को बढ़ाने के बाद भी, यह समझना बेहद मुश्किल है कि जेवीसी बैंक गारंटी के लिए निर्धारित प्रारूप का उपयोग करने या निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में क्यों असमर्थ था, जबकि हर दूसरा बोलीदाता ऐसा कर सकता था या वह स्पष्टीकरण क्यों नहीं ले सका या किसी कथित के खिलाफ प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सका।

अस्पष्टता। बैंक गारंटी के निर्धारित प्रारूप या एक कथित अस्पष्टता के संबंध में जेवीसी की आपत्ति और आचरण

एन. आई. टी. में पूरी तरह से बोर्ड से ऊपर नहीं लगता है। 32. इन अपीलों में मुख्य मुद्दा निम्नलिखित शर्तों का पालन करने में सी. सी. एल. की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का नहीं है -

एन. आई. टी. और जी. टी. सी. बोली प्रक्रिया में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत बोलियों से निपटने के दौरान इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या [2022] 12 एस. सी. आर.

सी. सी. एल. ने जे. वी. सी. की बैंक गारंटी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह निर्धारित प्रारूप में नहीं थी, जिससे एक संवैधानिक अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा का आह्वान किया गया और सी. सी. एल. के निर्णय में हस्तक्षेप किया गया।

33. रमण दयराम शेट्टी बनाम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

दस्तावेज़ में उपयोग किए जाने वाले शब्द अनावश्यक या अनावश्यक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अर्थ और महत्व दिया जाना चाहिएः (एस. सी. सी पी. 500, पैरा 7)

" 7. ..... यह व्याख्या का एक सुव्यवस्थित नियम है जो कानूनों के रूप में दस्तावेजों पर समान रूप से लागू होता है कि अनिवार्य आवश्यकता के अलावा, न्यायालय को यह कहने के लिए त्वरित नहीं होना चाहिए दस्तावेज़ की भाषा के लिए अतिप्रवाह और होना चाहिए

बल्कि शुरुआत में यह मानने के लिए इच्छुक था कि प्रत्येक शब्द का कुछ प्रभाव है या कुछ उपयोग करने का इरादा है। शब्दों को असंवेदनशील के रूप में अस्वीकार करना न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम उपाय होना चाहिए।

दस्तावेज़ का लेखक अर्थहीन और व्यर्थ है या दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से को चुप कर देता है और इसे पूरी तरह से बना देता है। लागू नहीं होता "।

34. रमण दयराम शेट्टी के मामले में, "पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी" अभिव्यक्ति को अव्यवहारिक और शायद अव्याकरणिक के रूप में मान्यता दी गई थी; फिर भी पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल चलाने वाले व्यक्ति को पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी के रूप में वर्णित करने में सामान्य ज्ञान को ठेस नहीं पहुंची थी। इसके पक्ष में इस निर्माण के बावजूद, उस मामले में प्रतिवादी 4 को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तथ्यात्मक रूप से अयोग्य माना गया था।

35. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अन्य (जैसे अपीलार्थी)

रमण दयराम शेट्टी मामले में) इस बात से अवगत थे कि पंजीकृत द्वितीय श्रेणी के होटल व्यवसायी होने की पात्रता शर्त को पूरा न करना विचार के लिए एक बाधा नहीं होगी, उन्होंने भी एक निविदा प्रस्तुत की होगी, लेकिन पात्रता शर्त के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया था, जिसे प्रतिवादी 4 के मामले में ढील दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी के पक्ष में असमान व्यवहार हुआ 4 टीआईओएनएल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

- ऐसा व्यवहार जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था। इस पर व्याख्या करते हुए, यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 504, पैरा 10)

कानून और इसकी न्यूनतम आवश्यकता। और इसके लिए इस सिद्धांत को लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि

शक्ति के प्रयोग में कुछ अधिकार का प्रभाव शामिल है

या किसी विशेषाधिकार से इनकार करना।

(जोर दिया गया)

36. इस सिद्धांत को वर्तमान अपीलों पर लागू करते हुए, अन्य

बोली लगाने वाले और जिन्होंने बोली नहीं लगाई थी, वे बहुत अच्छी तरह से तर्क दे सकते थे कि अगर उन्हें पता होता कि बैंक गारंटी का निर्धारित प्रारूप

यह अनिवार्य नहीं था या कि एन. आई. टी. या जी. टी. सी. के कुछ अन्य कार्यकाल अनुपालन के लिए अनिवार्य नहीं थे, वे भी होंगे

बोली प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लिया। दूसरे शब्दों में, गोलपोस्टों को फिर से व्यवस्थित करके, उन्हें भागीदारी के "विशेषाधिकार" से वंचित कर दिया गया था।

37. जे. वी. सी. के लिए यह कहना कि इसकी बैंक गारंटी शर्तों में थी

निर्धारित प्रारूप से अधिक सख्त न तो यहाँ है और न ही वहाँ है। यह नियोक्ता या इस न्यायालय के लिए यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बैंक गारंटी की जांच करना नहीं है कि क्या यह निर्धारित प्रारूप से अधिक सख्त है या नहीं।

कम कठोर। तथ्य यह है कि एक प्रारूप निर्धारित किया गया था और इसका पालन न करने का कोई कारण नहीं था। कुछ के अधिकार को प्रभावित करने या कुछ को विशेषाधिकार से वंचित करने के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान गोलपोस्ट को पुनर्व्यवस्थित या पुनर्व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

38. जी. जे. फर्नांडीस बनाम कर्नाटक राज्य, (1990) 2 एससीसी

488 , रमण दयराम शेट्टी में निर्धारित दोनों सिद्धांतों की पुष्टि की गई। यह फिर से पुष्टि की गई कि निविदा जारी करने वाली पार्टी (नियोक्ता) को निविदा की शर्तों को "समय पर और सख्ती से लागू करने का अधिकार है"। यदि कोई पक्ष नियोक्ता को निविदा की शर्तों को सख्ती से लागू करने से रोकने के आदेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो अदालत ऐसा करने से इनकार कर देगी। यह भी पुष्टि की गई कि नियोक्ता निविदा के नियमों और शर्तों से विचलित हो सकता है यदि परिवर्तन सभी इच्छुक आवेदकों को समान रूप से प्रभावित करते हैं [2022] 12 एस. सी. आर.

और आपत्तिजनक नहीं थे। " इसलिए, नियमों और शर्तों से विचलन तब तक स्वीकार्य है जब तक कि समान खेल का मैदान बनाए रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप कोई मनमाना या मनमाना नहीं होता है। रमण दयराम शेट्टी के अर्थ में भेदभाव।

42. दुर्भाग्य से, पोद्दार स्टील में यह अदालत

कॉर्प. वी. गणेश इंग। वर्क्स, (1991) 3 एस. सी. सी. 273 ने भागीदारी के विशेषाधिकार के सिद्धांत का बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया।

रमण दयराम शेट्टी में और जी. जे. फर्नांडीस में स्वीकार किया गया। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या विचलन के परिणामस्वरूप, अन्य लोग भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य हो सकते थे। पोद्दार स्टील में इस सिद्धांत की अनदेखी की गई थी। 43. नियोक्ता के नियमों और शर्तों से विचलित होने के अंतर्निहित अधिकार को स्वीकार करने की नस में जारी रखना

एन. आई. टी., और भागीदारी के विशेषाधिकार के सिद्धांत और समान अवसर की अवधारणा को फिर से पेश करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया, विशेष रूप से वाणिज्यिक भागीदारी के संबंध में।

अनुबंध। इस विषय पर अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से एक तीन हैं-टाटा सेल्युलर बनाम में न्यायाधीश का निर्णय। भारत संघ, (1994) 6 एस. सी. सी. 651 जिसने किसी निर्णय की वैधता को महत्व दिया न कि उसकी दृढ़ता को। यदि कोई प्रशासनिक निर्णय, जैसे कि एन. आई. टी. के संदर्भ में विचलन मनमाना, तर्कहीन नहीं है,

अनुचित, दुर्भावनापूर्ण या पक्षपाती, अदालतें न्यायिक रूप से नहीं करेंगी

लिए गए निर्णय की समीक्षा करें। इसी तरह, अदालतें एक असफल व्यक्ति के कहने पर निर्णय में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगी।

तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघन के संबंध में बोलीदाता। यह इस न्यायालय द्वारा (टाटा सेल्युलर के बाद) जगदीश मंडल बनाम में स्पष्ट रूप से कहा गया था। उड़ीसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 517] निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी पी. 531, पैरा 22)

" 22. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह को रोकना है।

और दुर्भावनापूर्ण। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विकल्प या निर्णय "कानूनी रूप से" किया गया है और यह जांचना नहीं है कि विकल्प या निर्णय "सही" है या नहीं। जब निविदाओं या पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है

अनुबंध, कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन

और अनुबंध प्रदान करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक है। कार्य। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूरी पर रहते हैं। यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय टीओएनएल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड V है।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

ईमानदारी से और जनहित में, अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही प्रक्रिया संबंधी विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या किसी निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह बनाया गया हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होगी

लोक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए लागू करने की अनुमति। शिकायत वाला निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा कर सकता है।

दीवानी अदालत में हर्जाने की मांग करें। काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के मोलहिल से पहाड़ बनाने के लिए, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और

परियोजना की लागत कई गुना बढ़ाएँ।

इस न्यायालय ने तब ऐसे प्रश्न रखे जो ऐसी स्थिति में पूछे जाने चाहिए। कहा गया थाः (जगदीश मंडल मामला, एस. सी. सी.

पी। 531 , पैरा 22)

" 22. ..... इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए निविदा या संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले एक अदालत,

स्वयं को निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिएः

(i) क्या प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया या लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने का इरादा है;

या

चाहे प्रक्रिया अपनाई गई हो या निर्णय लिया गया हो

मनमाना और तर्कहीन कि अदालत कह सकती हैः " निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी जो उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य कर रहा हो, उस तक नहीं पहुंच सकता था। ((ii) क्या जनहित
प्रभावित होता है।

यदि उत्तर नकारात्मक हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। "

44. वर्तमान अपीलों में इन प्रश्नों को पूछने पर, यह स्पष्ट है कि सी. सी. एल. द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करने के लिए

एन. आई. टी. और जी. टी. सी. के नियम और शर्तें निश्चित रूप से किसी भी तरह से तर्कहीन नहीं थीं या किसी का पक्ष लेने का इरादा नहीं था।

यह निर्णय वैध था और अनुचित नहीं था।

47. इस चर्चा का परिणाम यह है कि बोली या बोली लगाने वाले की स्वीकृति या अस्वीकृति के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।

न केवल असफल पक्ष के दृष्टिकोण से बल्कि नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी। जैसा कि रमण दयराम शेट्टी में कहा गया है कि एन. आई. टी. की शर्तों को अनावश्यक या अनावश्यक होने के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें एक अर्थ और आवश्यक महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि टाटा सेल्युलर में बताया गया है कि वहाँ होना चाहिए

प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने में न्यायिक संयम रखें। आम तौर पर, नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय की दृढ़ता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। निर्णय की दृढ़ता पर सवाल उठाया जा सकता है कि क्या यह तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण या इरादा है।

किसी का पक्ष लेने के लिए या एक निर्णय "कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य नहीं कर सकता था" जैसा कि मिशिगन रबर में जगदीश मंडल में आयोजित किया गया था।

49. फिर से, नियोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि अदालतें नियोक्ता के निर्णय लेने के कार्य को अपने हाथ में लेती हैं और नियोक्ता के इरादे के विपरीत आवश्यक और गैर-आवश्यक शब्दों के बीच अंतर करती हैं और इस तरह व्यवस्था को फिर से लिखती हैं, तो यह सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसमें वह भी शामिल है जिससे हम जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिस जी. टी. सी. से हम संबंधित हैं, वह खंड 15.2 में विशेष रूप से कहता है कि "कोई भी बोली जो स्वीकार्य बोली प्रतिभूति/ई. एम. डी. के साथ नहीं है, वह मान्य होगी। नियोक्ता द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार किया जाए। निश्चित रूप से, सी. सी. एल. ने इस शब्द को अनिवार्य बनाने का इरादा किया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने माना कि उसके द्वारा निर्धारित नहीं किए गए प्रारूप में बैंक गारंटी को उच्च गति रेल निगम लिमिटेड v.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

स्वीकार किया जाए क्योंकि वह आवश्यकता जी. टी. सी. का एक गैर-आवश्यक शब्द था। सी. सी. एल. के दृष्टिकोण से, जी. टी. सी. उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से पुनर्लिखित।

52. एक संपूर्ण सिद्धांत है जो अदालतों के पास है

बहुत लंबे समय से अनुसरण किया जा रहा था और जिसे व्यक्त किया गया था

नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट, ए. आई. आर 1936 पी. सी. 253 (2), अर्थात्:

..... जहाँ किसी विशेष कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, उस कार्य को उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

इस हितकारी सिद्धांत को छोड़ने या इसे दस्तावेजों की बोली लगाने के लिए उत्परिवर्तित रूप से लागू नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं है। यह सिद्धांत

संविदात्मक विवादों में लागू होने के योग्य, विशेष रूप से वाणिज्यिक अनुबंध या बोलियां जो वाणिज्यिक अनुबंधों तक ले जाती हैं, जहां कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यह नजीर अहमद में निर्धारित सिद्धांत के अनुप्रयोग से पालन करना चाहिए कि यदि नियोक्ता

बैंक गारंटी का एक विशेष प्रारूप निर्धारित करता है

केवल उस विशेष प्रारूप में और किसी अन्य प्रारूप में नहीं। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस संबंध में कोई लचीलापन नहीं है और नियोक्ता बोली दस्तावेज की शर्तों से विचलित हो सकता है लेकिन

केवल ऊपर बताए गए मापदंडों के भीतर।

55. उपलब्ध मामले कानून के आधार पर, हम हैं

विचार है कि चूंकि सी. सी. एल. ने ढील नहीं दी थी या इससे विचलित नहीं हुआ था निर्धारित में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता

प्रारूप, जहाँ तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, प्रत्येक बोलीदाता

बैंक के निर्धारित प्रारूप का पालन करने के लिए बाध्य था

गारंटी। नतीजतन, बैंक को प्रस्तुत करने में जेवीसी की विफलता निर्धारित प्रारूप में गारंटी सी. सी. एल. के लिए पर्याप्त कारण था।

उसकी बोली को अस्वीकार करना।

56. यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सी. सी. एल. द्वारा निर्णय लिया गया था कि बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी

जे. वी. सी. द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण था जो भी हो। इसी तरह, इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि सी. सी. एल. द्वारा जे. वी. सी. द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को अस्वीकार करने का निर्णय और

एन. आई. टी. और जी. टी. सी. की आवश्यकताओं का पालन करना मनमाना था

या किसी भी तरह से अनुचित या विकृत। 7.8. 5 माँ बिंदा एक्सप्रेस वाहक और अन्न के मामले में। बनाम।

एच ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे और अन्य। , (2014) 3 एस. सी. सी. 760, यह [2022] 12 एस. सी. आर.

आरएस राज्य और उसके उपकरणों द्वारा अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित है।8 से 10 तक इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 8. राज्य द्वारा अनुबंधों के अधिनिर्णय से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा और इसके साधनों का निपटारा

इस न्यायालय के निर्णयों की लंबी कतार। जबकि ये निर्णय स्पष्ट रूप से

यह मान्यता दें कि सरकार और उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति

अनुबंध के आवंटन के संबंध में उपकरण एक पीड़ित पक्ष के कहने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, ऐसी निविदाओं को आमंत्रित करने वाले नोटिस के जवाब में निविदा प्रस्तुत करना एक प्रस्ताव देने से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे स्वीकार करने के लिए राज्य या उसकी एजेंसियां बाध्य नहीं हैं। इसलिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उनकी निविदाएं केवल इसलिए स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि दी गई निविदा सबसे अधिक या सबसे कम है।

चाहे अनुबंध सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री के लिए हो या सरकार की ओर से कार्यों के निष्पादन के लिए हो। भाग लेने वाले बोलीदाता अपनी निविदाओं के मूल्यांकन के मामले में निष्पक्ष, समान और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के हकदार हैं। यह भी काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अनुबंध का पुरस्कार अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है जिसे विचार के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए

इस तरह के व्यावसायिक निर्णय के लिए प्रासंगिक। इसका तात्पर्य यह है कि शर्तें जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, वे न्यायिक के लिए खुली नहीं हैं।

जब तक यह नहीं पाया जाता है कि उन्हें किसी विशेष निविदाकार या निविदाकारों के वर्ग के लाभ के लिए तैयार किया गया है, तब तक जांच की जाती है। तो यह भी कि

निविदा को नियंत्रित करने वाली शर्तों के तहत छूट की अनुमति है। प्रक्रिया।

9. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अनुबंध देने के मामले में सरकार और उसकी एजेंसियों को उचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा। हर समय। उस हद तक निविदाकार के पास लागू करने योग्य है

न्यायालय में अधिकार जो यह जांचने के लिए सक्षम है कि क्या

पीड़ित पक्ष के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है या उसके साथ भेदभाव किया गया है

जनहित के नुकसान के लिए। (मेरठ विकास देखें

प्राधिकरण v. एसोसिएशन। प्रबंधन अध्ययन विभाग [(2009) 6 एस. सी. सी. 171] और एयर इंडिया लिमिटेड बनाम। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड [(2000) 2

एससीसी 617]।

10. संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा था

इस न्यायालय द्वारा टाटा सेल्युलर बनाम में आगे की जांच की गई।

राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का संघ v. मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

भारत, रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड मामला [रौनक इंटरनेशनल]

लिमिटेड वी. आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, (1999) 1 एस. सी. सी. 492] और जगदीश में

मंडल बनाम। कई अन्य निर्णयों के अलावा उड़ीसा राज्य जिसका हमें उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

7.9 इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों से यह देखा जा सकता है कि एक न्यायालय न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अनुबंध मामले में हस्तक्षेप करने से पहले समीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिएः

चाहे प्रक्रिया अपनाई गई हो या उसके द्वारा लिया गया निर्णय

((i)

प्राधिकरण दुर्भावनापूर्ण है या किसी का पक्ष लेने के लिए है; या क्या अपनाई गई प्रक्रिया या निर्णय ऐसा है

मनमाना और तर्कहीन कि अदालत कह सकती हैः " निर्णय ऐसा है कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी जो उचित रूप से और प्रासंगिक कानून के अनुसार कार्य कर रहा हो, उस तक नहीं पहुंच सकता था। और

((ख)

क्या जनहित प्रभावित होता है? अगर जवाब दें

उपरोक्त प्रश्न नकारात्मक में हैं, तो होना चाहिए

अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप नहीं।

7.10 उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करना और जब जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी/गैर-अनुपालन के रूप में मानते हुए एक सचेत निर्णय लिया गया था। विचलन, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और तकनीकी स्तर पर मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने वाले जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. के निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है।

8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को पहले चरण में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि

सामग्री विचलन/गैर-उत्तरदायी और यह पाए जाने पर कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं पाई गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा सचेत निर्णय को दरकिनार कर दिया है

जे. आई. सी. ए., जे. आई. सी. सी. और अपीलार्थी द्वारा यह देखते हुए लिया गया कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को पर्याप्त अनुपालन में कहा जा सकता है और इस आधार पर कि हालांकि अन्य बोलीदाताओं को अपनी त्रुटियों/दोषों को सुधारने का अवसर दिया गया था, हालांकि, मूल रिट याचिकाकर्ता को समान अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए

दोषों/त्रुटियों को सुधारने का अवसर नहीं देने का निर्णय [2022] 12 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी होना।

हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था जिसमें कहा गया था कि बोली मूल रिट द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

याचिकाकर्ता भौतिक विचलन से पीड़ित है और इसे काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली नहीं कहा जा सकता है। यह लिया गया फैसला

नियोक्ता-जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. और उसके बाद अपीलार्थी आई. टी. बी. के प्रासंगिक खंडों पर विचार करता है, विशेष रूप से, आई. टी. बी. खंड 33.2, जो काफी हद तक उत्तरदायी तकनीकी बोली को परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि अन्य बोलीदाता, जिन्हें दोषों को ठीक करने का अवसर दिया गया था, उन्होंने पहले चरण को पूरा कर लिया था और उन्हें आई. टी. बी. खंड 34 के अनुसार दोषों को ठीक करने का अवसर दिया गया था। जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. के अनुसार, उन बोलीदाताओं के संबंध में, जिन्हें पहले चरण को पार करने के बाद दोषों को ठीक करने का अवसर दिया गया था, उनके दोष काफी हद तक उत्तरदायी पाए गए और इसलिए, खंड 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें दोषों को ठीक करने का अवसर दिया गया, जो कि काफी हद तक उत्तरदायी और गैर-भौतिक अनुपालन पाया गया। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ता का संबंध है, उसकी बोली को पहले चरण में ही खारिज कर दिया गया था, विशेष रूप से यह पाया गया था कि उसी का गठन होता है।

एक भौतिक विचलन/गैर-अनुरूपता। इसलिए, अन्य सभी बोलीदाता जिन्हें दोषों को ठीक करने का अवसर दिया गया था, वे अलग थे।

मूल रिट याचिकाकर्ता और इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता को दोष को ठीक करने का अवसर नहीं देना भेदभावपूर्ण है।

9. अन्यथा भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक बार जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था, जिसे कहा जा सकता है

निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के लेखक, यह विचार और स्थिति लेते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली भौतिक विचलन से ग्रस्त है और उक्त निर्णय आईटीबी के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने के बाद लिया गया था, इसके बाद उच्च न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस तरह के सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने और यह विचार रखने के लिए खुला नहीं था कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली पर्याप्त अनुपालन में थी।

10. जैसा कि ऊपर देखा गया है, दुर्भावना और/या पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली पर्याप्त अनुपालन में थी। चाहे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली किसी भी भौतिक विचलन और/या किसी भी महत्वपूर्ण विचलन से ग्रस्त हो, राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम सीमित होना चाहिए।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

बोली दस्तावेज के लेखक पर छोड़ दिया जाता है और आम तौर पर, उच्च न्यायालयों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं पाया जाता है और/या पक्षपात के आरोप नहीं हैं और/या ऐसा निर्णय मनमाना है।

11. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है,

मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली को पहले चरण में इस आधार पर अस्वीकार कर दें कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली सामग्री विचलन से ग्रस्त है और इसे जे. आई. सी. सी. और जे. आई. सी. ए. की सहमति से निविदा समिति द्वारा पर्याप्त अनुपालन में नहीं कहा जा सकता है। जे. आई. सी. ए. की भूमिका पर व्यापक रूप से विचार किया गया है।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में। इसलिए, जब जे. आई. सी. ए. इतनी बड़ी राशि के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है और निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, और इसलिए, जब जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा सचेत निर्णय लिया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हल्के में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी और जब उच्च न्यायालय के इस तरह के निर्णय का ऐसी विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजना पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के विदेशी वित्त पोषित अनुबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत दूर होना चाहिए।

भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित सामान्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुबंधों की तुलना में बहुत कम। ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों/परियोजनाओं में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित और न्यूनतम होगा। ऐसे विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों में, न्यायिक समीक्षा का एकमात्र आधार एक सीमित पहलू पर होना चाहिए, यानी निष्पादन प्राधिकरण की कार्रवाई पक्षपात या भाई-भतीजावाद से पीड़ित नहीं है और उन आधारों पर आधारित है जो विदेशी वित्तपोषण प्राधिकरण से छिपाया गया, यदि खुलासा किया जाता, तो अनुबंध को रद्द करने के लिए वित्तपोषण प्राधिकरण को राजी किया जाता।

12. उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि बुलेट ट्रेन परियोजना दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चले विचार-विमर्श का परिणाम है।

एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर जापान सरकार। कि इसके बाद जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे. आई. सी. ए.) और माननीय के बीच एक ऋण समझौता निष्पादित किया गया। भारत के राष्ट्रपति और जे. आई. सी. ए. ने लगभग 500 करोड़ रुपये के कोष के लिए सहमति व्यक्त की। 1 ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर परियोजना के लिए लाख करोड़ रुपये और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों सहित अन्य सहमत शर्तों को जे. आई. सी. ए./जे. आई. सी. सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। बोली दस्तावेज जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ जे. आई. सी. ए. के खरीद दिशानिर्देशों पर आधारित हैं, जो ऋण समझौते का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए, शर्तों [2022] 12 एस. सी. आर. के विपरीत कोई भी निर्णय।

और बोली दस्तावेज की शर्तों से ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में बदलाव होगा, जिसकी अनुमति नहीं होगी। ऐसे अनुबंधों में जे. आई. सी. ए. की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विदेशी वित्त पोषित निवेश जैसे कि वर्तमान निवेश जे. आई. सी. ए. द्वारा रियायती आधिकारिक विकास सहायता (ओ. डी. ए.) ऋण गैर-बातचीत किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर दिया जाता है, जिसमें निवेश की शर्तें क्या होंगी और परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को किन शर्तों पर चुना जाएगा, इस बारे में एकमात्र विवेकाधिकार निवेशक-विदेशी विकसित राष्ट्र के पास निहित होता है। अंतिम निर्णय संबंधित पक्षों पर निहित है, जिन्होंने परियोजना में वित्तपोषण/निवेश किया, यानी वर्तमान मामले में जे. आई. सी. ए.। इसलिए, उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. ए. और जे. आई. सी. सी. द्वारा लिए गए सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है, जिस पर निविदा समिति द्वारा कार्रवाई की गई है।

13. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए./अपीलार्थी/निविदा के सचेत निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की है।

मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने के लिए समिति

पहला चरण इस आधार पर कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली सामग्री विचलन से पीड़ित थी।

14. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में लिया गया दृष्टिकोण है कि विकल्प ए की धारा 1 के खंड (ई) और आई. टी. बी. के खंड 42.5 के तहत खंड 28 स्पष्ट रूप से अवैध हैं,

वे बोलीदाताओं के बहु-चरणीय बोली प्रक्रिया में उनकी बोली की अस्वीकृति को जल्द से जल्द चुनौती देने के अधिकार को कम करना चाहते हैं, और अनुबंध के पुरस्कार का संबंध होने से पहले, शुरू में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह आईटीबी के उपरोक्त खंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं थे। अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आई. टी. बी. के खंड 28.1 और 42.5 अच्छी तरह से जानकारी के भीतर थे।

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के समय मूल रिट याचिकाकर्ता का। आई. टी. बी. के उपरोक्त खंडों को सभी प्रतिभागियों/बोलीदाताओं की जानकारी में रखा गया था और यह सभी पर लागू होता है। आई. टी. बी. में उपरोक्त खंडों के बावजूद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने निविदा में भाग लिया

प्रक्रिया। इसलिए, एक बार खंड 28.1 और 42.5 की पूरी जानकारी के साथ निविदा प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के बाद, और पूरी जानकारी के साथ भाग लेने के बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता के लिए ऐसे खंडों के संबंध में शिकायत करना खुला नहीं था।

14.1 अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि खंड 28.1 और 42.5 बोलीदाताओं (आई. टी. बी.) को दिए गए निर्देशों का हिस्सा हैं और इसलिए बोली दस्तावेज का हिस्सा हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड के एक विस्तृत ज्ञापन के बाद ऋण समझौते को मूर्त रूप दिया गया था।

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच समझ और ऋण समझौता और परियोजना का वित्तपोषण और संचालन कैसे किया जाएगा। इसके बाद परियोजना चर्चा के सामान्य परामर्श के बाद, यह इस विशिष्ट शर्त के साथ एक ऋण समझौते में समाप्त हो गया कि अनुबंध और बोली दस्तावेज की शर्तों को जे. आई. सी. सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और तैयार किया जाएगा और जे. आई. सी. ए. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सामग्री

बोली दस्तावेज जे. आई. सी. ए. के मानक बोली दस्तावेजों के साथ-साथ जे. आई. सी. ए. के खरीद दिशानिर्देशों पर आधारित हैं और ऋण समझौते का एक अभिन्न अंग हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जे. आई. सी. ए. द्वारा रियायती आधिकारिक विकास सहायता (ओ. डी. ए.) ऋण के रूप में इस तरह के विदेशी वित्त पोषित निवेश गैर-बातचीत के नियमों और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं, जहां निविदा के नियम और शर्तें क्या होंगी और परियोजना को किन नियमों और शर्तों पर वित्तपोषित किया जाएगा, इस बारे में एकमात्र विवेकाधिकार निवेशक विदेशी विकसित राष्ट्र के पास निहित होता है। इसलिए, खंड 28.1 और 42.5 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश बोली दस्तावेज/आई. टी. बी. के नियमों और शर्तों को बदल देगा, जिन्हें जे. आई. सी. सी./जे. आई. सी. ए. द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और अनुमोदित किया गया था और जो जे. आई. सी. ए. के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए थे।

दिशा-निर्देश और जिनका सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों द्वारा पालन किया जाना था।

14.2 अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त खंडों के उद्देश्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है। उपरोक्त खंडों में कहा गया है कि

बोलियों के मूल्यांकन और अनुबंध पुरस्कार की सिफारिश से संबंधित जानकारी, बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अनुबंध पुरस्कार की जानकारी आईटीबी 42 के अनुसार और खंड 42 के अनुसार सभी बोलीदाताओं को नहीं दी जाती है।

नियोक्ता उन आधारों पर स्पष्टीकरण मांगता है जिनके आधार पर उनकी बोलियों का चयन नहीं किया गया था। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि "नियोक्ता किसी भी असफल बोलीदाता को तुरंत लिखित रूप में जवाब देगा, जो आई. टी. बी. 42.1 के अनुसार पुरस्कार की अधिसूचना के बाद संक्षिप्त विवरण का अनुरोध करते हैं।" इस प्रकार, खंड 28.1 और 42.5 को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 28.1 बोलियों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी और अनुबंध पुरस्कार की सिफारिश का खुलासा बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जो आधिकारिक तौर पर ऐसे [2022] 12 एस. सी. आर. से संबंधित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रक्रिया जब तक अनुबंध पुरस्कार पर जानकारी नहीं दी जाती है

आई. टी. बी. 42 के अनुसार सभी बोलीदाता।

खंड एफ. अनुबंध का पुरस्कार

42. पुरस्कार की अधिसूचना 42.5 पुरस्कार की अधिसूचना के बाद, असफल बोलीदाता अनुरोध कर सकते हैं,

लिखित रूप में, नियोक्ता को स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक विवरण

जिन आधारों पर उनकी बोलियों का चयन नहीं किया गया था। नियोक्ता

किसी भी असफल बोलीदाता को तुरंत लिखित रूप में जवाब देगा।

जो आई. टी. बी. 42.1 के अनुसार पुरस्कार की अधिसूचना के बाद,

एक संक्षिप्त विवरण का अनुरोध करें "।

(जोर दिया गया)

14.3 उपरोक्त खंडों का उद्देश्य रोकने के लिए प्रतीत होता है।

बीच में कई चरणों वाली निविदा प्रक्रिया के लिए एक संभावित चुनौती। उच्च न्यायालय ने कहा है कि उक्त खंड निविदा प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग करने के लिए बोलीदाताओं के अधिकार को प्रतिबंधित करेंगे। हालाँकि, उच्च न्यायालय पूरी तरह से सही नहीं लगता है। उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि सबसे पहले खंड 28 एक गोपनीयता खंड है। उपरोक्त दो खंडों को सामान्य रूप से पढ़ने पर, यह कहा जा सकता है कि

न्यायिक जांच की मांग करने के लिए बोलीदाताओं के अधिकार को बिल्कुल भी नहीं छीनना। केवल कारणों को जानने के लिए चरण और समय और उसके बाद यदि

असफल बोलीदाता व्यथित है और समाधान की मांग कर सकता है, जिसे अनुबंध देने पर अंतिम निर्णय लेने और सूचित किए जाने तक स्थगित कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उद्देश्य और उद्देश्य नहीं होगा

अनुबंध देने का अंतिम निर्णय लिए जाने तक बीच-बीच में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप। कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निविदा प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग करने के असफल बोलीदाता के अधिकार को छीन लेता है। पुरस्कार देने का अंतिम निर्णय लेने के बाद अनुबंध और अनुबंध प्रदान किया जाता है, इसके बाद असफल बोलीदाताओं के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वे उन कारणों के बारे में पूछें जिनके लिए नियोक्ता को तुरंत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उसके बाद असफल बोलीदाता कानूनी उपाय का लाभ उठा सकता है, जो उसके लिए उपलब्ध हो सकता है, जो हर्जाने का दावा

कर सकता है। उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि यह हमेशा सलाह दी जाती है कि इस तरह की विदेशी वित्त पोषित मेगा परियोजना में देरी का व्यापक प्रभाव हो सकता है और कई बार वित्तीय बोझ पड़ता है

परियोजनाओं में देरी के कारण और इसलिए, पूरी निविदा प्रक्रिया या अनुबंध का पुरस्कार पूरा होने तक न्यूनतम हस्तक्षेप और/या कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए विदेशी वित्त पोषित एजेंसी निविदा प्रक्रिया राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड को चुनौती देने से रोकने के लिए इस तरह के खंड प्रदान करना उचित है।

बीच में और अनुबंध देने पर अंतिम निर्णय होने तक। यहां तक कि हमारी यह भी राय है कि एक मेगा परियोजना में, जिसे एक विदेशी देश द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, अनुबंध देने के लिए अंतिम निर्णय लेने तक निविदा प्रक्रिया के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। द. इसके पीछे का कारण यह है कि इस तरह की परियोजना में किसी भी देरी से अंतिम परियोजना लागत में वृद्धि हो सकती है और यह विदेश द्वारा भविष्य के निवेश को प्रभावित कर सकता है, जो कभी भी बड़े देश के हित में नहीं होगा।

14.5 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि खंड 28.1 और 42.5 स्पष्ट रूप से अवैध हैं।

विशेष रूप से, इसके लिए किसी भी चुनौती के अभाव में और इस आधार पर भी कि एक बार मूल रिट याचिकाकर्ता ने आईटीबी में उपरोक्त खंडों की जानकारी होने पर भाग लिया, उसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ता के लिए इसे चुनौती देने के लिए खुला नहीं था। मूल रिट याचिकाकर्ता खंड 28 में निहित गोपनीयता खंड के संबंध में शुरू से ही जानता था और वह आधार जिसके आधार पर असफल बोलीदाताओं की बोलियों का चयन नहीं किया जाता है,

खंड 42 के तहत अनुबंध देने के अंतिम निर्णय के बाद ही सूचित किया जाता है। यदि मूल रिट याचिकाकर्ता था व्यथित होने पर या तो उसने भाग नहीं लिया होगा और/या निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले ऐसे खंडों को चुनौती दी होगी। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा खंड 28.1 और 42.5 को स्पष्ट रूप से अवैध ठहराते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश कायम नहीं रह सकते हैं और वे भी रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हैं।

15. अलग होने से पहले, हम निविदा प्रक्रिया को बीच में चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए और/या अनुबंधों में निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए, विशेष रूप से, विदेशों द्वारा वित्त पोषित अनुबंधों/परियोजनाओं के संबंध में और मेगा परियोजना के संबंध में उच्च न्यायालयों को सावधानी के कुछ शब्द व्यक्त करना उचित समझते हैं। वर्तमान की तरह। विदेशों द्वारा वित्त पोषित ऐसी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में रिट याचिका पर विचार करने से पहले, किसी को [2022] 12 एस. सी. आर. की सराहना करनी होगी।

विदेश द्वारा ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच विस्तृत चर्चा की जाती है और रेल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया जाता है। विदेशी।

देश गैर-बातचीत की शर्तों पर इतनी बड़ी राशि का निवेश/वित्तपोषण करने के लिए तैयार है और बोली दस्तावेज विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

मानक बोली दस्तावेजों के नवीनतम संस्करण के अनुसार एजेंसी/देश। विकसित देशों से ये निवेश गैर-बातचीत के नियमों और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं, जहां निवेश की शर्तें क्या होंगी और परियोजना को लागू करने के लिए ठेकेदारों को किन शर्तों पर चुना जाएगा, इस बारे में एकमात्र विवेकाधिकार निवेशक विदेशी विकसित राष्ट्र के पास निहित होता है। ऐसे विदेशी संप्रभु वित्त पोषित विकास अनुबंधों की विशेष विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनकी परिकल्पना और अस्तित्व केवल निवेश की उपलब्धता और ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्तपोषण के लिए विदेशी संप्रभु देश की इच्छा के कारण किया जा सकता है, उक्त अनुबंध अलग मान लेते हैं

विशेषताएँ। इसलिए, जहां तक विदेशी वित्त पोषित अनुबंधों और सरकारी खजाने से वित्त पोषित सामान्य लोक निर्माण अनुबंधों के बीच न्यायिक हस्तक्षेप का संबंध है, अलग-अलग विचार होंगे। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और जैसा कि इस न्यायालय ने एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में कहा है, एक विकासशील देश के लिए इतनी अधिक लागत के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है।

परियोजना जब तक विकसित देश ऋण/सब्सिडी प्रदान नहीं करता है और/या ऐसी उच्च लागत वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए तैयार नहीं है, जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।

विकासशील देश, विशेष रूप से, जब विकसित देश ब्याज की न्यूनतम रियायती दर और पुनर्भुगतान के उपयुक्त नियमों और शर्तों पर एक बड़ी राशि का वित्तपोषण करने के लिए तैयार हो। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की मेगा परियोजना के निष्पादन में कोई भी देरी, जो बहुत है भारत जैसे विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना व्यापक जनहित और राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती है। अदालतों द्वारा बीच में इस तरह का हस्तक्षेप और इस तरह की परियोजनाओं में देरी जो विकसित देश द्वारा एक विकासशील देश के लिए द्विपक्षीय आपसी समझ/समझौते पर विदेशों द्वारा वित्त पोषित की जाती है, भविष्य के निवेश/वित्त पोषण को प्रभावित कर सकती है। कई बार, अदालतों के हस्तक्षेप के कारण परियोजना के निष्पादन में इस तरह की देरी से परियोजना की लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है और अंततः परियोजना की लागत बढ़ सकती है और भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है और इससे बढ़े हुए और बिना बजट के खर्च हो सकते हैं। इसलिए, निविदा प्रक्रिया को बीच में चुनौती देने वाले रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए और/या ऐसी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में अनुबंध के पुरस्कार को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करते हुए, टीआईओएनएल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड V.

मोंटेकर्लो लिमिटेड और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

विशेष रूप से, जब ऐसी बड़ी परियोजनाओं को विदेशी कोषों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, तो न्यायालयों को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगाः

टाटा सेल्युलर बनाम भारतीय संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा,

6 अनुच्छेद 94 में एस. सी. सी. 651 निम्नानुसार हैः

" 94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) अदालत अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठती है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करती है।

(3) अदालत के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

(4) निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा का निमंत्रण अनुबंध के दायरे में है। आम तौर पर, स्वीकार करने का निर्णय

निविदा या पुरस्कार अनुबंध की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है कई स्तरों पर बातचीत। अधिक बार नहीं, इस तरह

निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है। हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होने वाली मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए।

दुर्भावना से प्रेरित।

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बजट में वृद्धि हो सकती है व्यय।

इन सिद्धांतों के आधार पर हम इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे क्योंकि वे हमें सही सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करते हैं।

भले ही रिट याचिका पर विचार करने और/या स्थगन देने से अंततः बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में देरी हो सकती है, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि यह परियोजनाओं के निष्पादन में गंभीर रूप से बाधा डाल सकता है।

राज्य और/या उसकी एजेंसियों का महत्व कम करना और उन्हें अक्षम करना।

नागरिकों के लिए। इसलिए, उच्च न्यायालयों को ऐसी याचिकाओं पर विचार करते समय और/या ऐसे मामलों में रोक लगाते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बेहद सावधान और चौकस रहना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि निर्णय इस तरह से विकृत और/या मनमाना है और/या दुर्भावना से ग्रस्त है और/या

पक्षपात, इस तरह की रिट याचिका पर विचार करते हुए और/या कोई उचित अंतरिम आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दे सकता है कि यदि याचिकाकर्ता हार जाता है और निष्पादन में देरी होती है

परियोजना के संबंध में उसके द्वारा शुरू की गई ऐसी कार्यवाहियों के कारण, वह ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण हुए नुकसान से पीड़ित हो सकता है, जो उसके द्वारा शुरू किए गए ऐसे तुच्छ मुकदमों के कारण हो सकता है। सावधानी और सलाह के इन शब्दों के साथ, हम मामले को वहीं छोड़ देते हैं और इसे संबंधित न्यायालयों के विवेक पर छोड़ देते हैं, जो अंततः व्यापक सार्वजनिक हित और इसमें शामिल राष्ट्रीय हित को देख सकते हैं।

16. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश स्पष्ट रूप से है

अस्थिर और वही रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिका खारिज हो जाती है। कोई लागत नहीं।

लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)